

Seventeenth Loksabha

an&gt;

Title: Combined discussion on the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020; Industrial Relations Code, 2020 and Code on Social Security, 2020 (Discussion concluded and Bill Passed).

**श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार):** अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

“कि किसी स्थापन में नियोजित व्यक्तियों की उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाओं को विनियमित करने वाली विधियों को समेकित और संशोधित करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

और

“कि व्यवसाय संघ, औद्योगिक स्थापन या उपक्रम में नियोजन की शर्तें, औद्योगिक विवादों के अन्वेषण तथा परिनिर्धारण और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों से संबंधित विधियों का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

और

“कि संगठित या असंगठित या किन्हीं अन्य सेक्टरों में सभी कर्मचारियों और कर्मकारों की सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा से संबंधित विधियों का संशोधन और समेकन करने के लिए और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

**माननीय अध्यक्ष :** आप एक बार छोटा-सा वक्तव्य दे दीजिए।

...(व्यवधान)

**श्री संतोष कुमार गंगवार :** अध्यक्ष जी, मैं तीन लेबर कोड्स को सदन के समक्ष कन्सिडरेशन और पासिंग के लिए रखते हुए यह कहना चाहूंगा कि यदि किसी भी व्यवस्था को समय के साथ-साथ परिवर्तनशील और गतिशील नहीं रखा जाएगा, तो बदलते परिवेश में उद्देश्यों को प्राप्त करने में वे निष्प्रभावी हो जाती है। इसी मौलिक सिद्धांत के अनुरूप आज़ादी के 73 वर्षों के बाद आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में वर्तमान के जटिल श्रम कानूनों के स्थान पर एक सरल, ज्यादा प्रभावी, पारदर्शी और बदलते तकनीक के दौर के अनुरूप ही श्रम कानूनों की बेहतर व्यवस्था का सृजन किया गया है।

जब इन श्रम सुधारों की प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया था, तो 44 श्रम कानूनों में से अधिकतम श्रम कानून ऐसे थे, जो 50 से भी अधिक वर्षों से ज्यादा पुराने हो गए थे तथा लंबे समय से उनमें बदलाव की आवश्यकता भी महसूस की जा रही थी। 44 केन्द्रीय श्रम कानून अपने आपमें इतनी बड़ी संख्या है, जिससे इनके क्रियान्वयन में समस्याएं आती हैं। इन कानूनों में आ रही अनेक परिभाषाएं, अथॉरिटीज़, अनेकों अनुपालन व्यवस्थाएं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन, कल्याणकारी प्रावधान के लिए अलग-अलग थ्रेशहोल्ड इत्यादि की वजह से कठिनाई आ रही थी।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि आज़ादी के 73 वर्षों की यात्रा में आज के नए भारत का वातावरण, तकनीकी दौर, काम करने का तरीका, कार्य जगत की सुविधाएं तथा काम के स्वरूपों में भी अप्रत्याशित परिवर्तन हो गया है। आज से 70 वर्षों पहले किसी ने भी इस बात की कल्पना भी नहीं की थी कि वर्क फ्रॉम होम यानी घर बैठकर भी काम किया जा सकता है, या एक ही समय पर कर्मचारी एक से अधिक एम्प्लॉयर्स के लिए काम कर सकते हैं। इस बदले हुए कार्य जगत के स्वरूप को अंतर्राष्ट्रीय कार्य जगत ने भी स्वीकार किया है तथा फ्यूचर ऑफ वर्क के अनुसार उन्होंने भी अपने श्रम कानूनों में काफी बदलाव किए हैं।

इस संदर्भ में, यदि भारत अपने श्रम कानूनों में समय के अनुरूप परिवर्तन नहीं करता है, तो हम श्रमिकों के कल्याण तथा उद्योगों के विकास दोनों ही उद्देश्यों में पीछे रह जाएंगे। इसी उद्देश्य के साथ वर्तमान श्रम कानूनों को चार लेबर कोड्स में परिवर्तित करने का ऐतिहासिक कार्य शुरू किया गया था। हम चार लेबर कोड्स में 29 केन्द्रीय श्रम कानूनों को समाहित कर रहे हैं। इन चार लेबर कोड्स में श्रमिकों के मूलभूत अधिकारों को सुनिश्चित किया गया है। पहला, वेजेज़ कोड में वेतन की सुरक्षा, ओएसएच कोड में कार्य करने के लिए सुरक्षित वातावरण, इंड्रस्ट्रियल रिलेशन्स कोड में प्रभावी विवाद निस्तारण की व्यवस्था और कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इन चारों लेबर कोड्स में पहला कोड ऑन वेजेज़ दोनों ही सदनों द्वारा पहले ही सहमति से पास किया जा चुका है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहूंगा कि इन 4 लेबर कोड्स को बनाने की प्रक्रिया में यह विशेष ध्यान रखा गया है कि एक व्यापक कंसल्टेशन प्रक्रिया का पालन हो। हमने इस कंसल्टेशन प्रोसेस के अंतर्गत ट्रेड यूनियन्स, एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन्स, राज्य सरकारें, इस क्षेत्र के एक्सपर्ट्स, श्रम के अंतर्राष्ट्रीय संगठन और सबसे महत्वपूर्ण और बेहद जरूरी आम जनता के सुझावों को भी ध्यान में रखते हुए प्रावधानों को बनाया गया है।

**16.39 hrs**

(Shri Rajendra Agrawal in the Chair)

महोदय, इस प्रक्रिया के अंतर्गत हमने करीब 9 ट्राइपार्टाइट कंसल्टेशन्स किए हैं। चार सब कमेटी मीटिंग्स और दस रीजनल कांफ्रेंसेज भी किए हैं। इनमें देश के विभिन्न स्थानों पर लेबर कोड्स के प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा की गई है। इन लेबर कोड्स पर दस बार इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन भी हुआ है, जिनके माध्यम से दूसरे मंत्रालयों तथा विभागों के सुझाव भी लिए गए हैं। मैं सदन को यह भी बताना चाहूंगा कि सभी लेबर कोड्स को मंत्रालय की वेबसाइट पर दो से तीन महीने के लिए पब्लिक डोमेन में भी रखा गया है। जिसके दौरान सभी हितधारकों से करीब छह हजार से ज्यादा कमेंट्स प्राप्त हुए हैं। इतनी विस्तृत कंसल्टेशन प्रक्रिया के बाद ही हमने लेबर कोड्स के प्रावधानों को उचित स्वरूप दिया है।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन के मेरे सभी साथी अवगत हैं कि मंत्रालय की इस प्रक्रिया के बाद ही तीनों लेबर कोड्स को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को भी रेफर किया गया था तथा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने सभी हितधारकों से विस्तृत चर्चा करने के उपरांत 233 रिक्मेंडेशंस दी थीं। इसमें मंत्रालय ने 74 प्रतिशत से अधिक रिक्मेंडेशंस को स्वीकर कर लिया है। इसी आधार पर लेबर कोड्स के प्रावधानों में सभी जरूरी परिवर्तन भी किए गए।

अध्यक्ष महोदय, क्योंकि श्रमिक और उद्योग दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसलिए बदलते परिवेश में हमारे श्रमिक के लिए उद्योगों की आवश्यकताओं में भी संतुलन होना चाहिए। इन लेबर कोड्स में जहां एक तरफ श्रमिकों के अधिकारों को सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया है, वहीं दूसरी तरफ उद्योगों को सरलता से चलाने के लिए एक सरल अनुपालन की व्यवस्था की गई है। अब उद्योग लगाने के लिए विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत अलग-अलग रजिस्ट्रेशंस या कई लाइसेंस लेने की

आवश्यकता नहीं होगी। जहां तक संभव है, अब हम सभी रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस इत्यादि को समयबद्ध सीमा में और ऑनलाइन प्रक्रिया के अंतर्गत प्रदान करने का कार्य करने जा रहे हैं। हमने श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए, अनेकों ऐसे कदम उठाए हैं, जो वर्तमान के श्रम कानूनों में नहीं थे। जैसे सभी श्रमिकों को एपॉइंटमेंट लेटर का अधिकार प्रदान किया जा रहा है। इससे हम अपने कार्य जगत में फॉर्मल एंप्लायमेंट को बढ़ावा दे पाएंगे। यह एक बड़ी पहल है जो आजादी के 73 वर्षों के बाद और 44 कानून होने के बावजूद भी आज तक नहीं की गई है। श्रम कानूनों के इतिहास में कई प्रावधान तो पहली बार ही किए जा रहे हैं। इनमें से कुछ का उल्लेख मैं अभी करना चाहूंगा, जैसे प्रवासी श्रमिकों की परिभाषा को ज्यादा व्यापक बनाना। अब ऐसे श्रमिक, जो कि बिना कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से भी एक राज्य से दूसरे राज्य में काम के लिए जाते हैं, वे भी अब प्रवासी श्रमिक की परिभाषा में आ पाएंगे। साथ ही साथ वे अब प्रवासी श्रमिकों के लिए निर्धारित कल्याणकारी योजनाओं के लाभ के पात्र भी हो पाएंगे। इसी तरह से काम से हटाए जाने वाले श्रमिक के लिए भी रीस्कलिंग की व्यवस्था की गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और प्लेटफॉर्म वर्कर्स जैसे नए तरह के श्रमिकों को भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया गया है। विवाद निस्तारण के लिए ट्रेड यूनियन की महत्ता को समझते हुए और स्वीकार करते हुए, श्रम कानूनों में पहली बार उनके संस्थान के स्तर पर, राज्य स्तर पर तथा राष्ट्रीय स्तर यानी तीनों स्तरों पर मान्यता देना।

अध्यक्ष महोदय, श्रमिकों, उद्योग जगत तथा इससे संबंधित सभी हितधारकों के अधिकारों तथा आवश्यकताओं में एक सामंजस्य बनाने का प्रयास करते हुए इन तीनों लेबर कोड्स को लाया गया है।

मैं आशा करता हूँ कि यह श्रम संहिता वास्तव में श्रमिक कल्याण की प्राप्ति के उद्देश्यों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। मेरा सदन के सभी साथियों से आग्रह है कि इन लेबर कोड्स पर आवश्यक चर्चा और अपनी बातें बताने का कष्ट करें।

मैंने यह प्रारंभिक बात कही है। मैं विस्तार से और बातें बाद में भी आपसे करूंगा।

आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।

**माननीय सभापति :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:

“कि किसी स्थापन में नियोजित व्यक्तियों की उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाओं को विनियमित करने वाली विधियों को समेकित और संशोधित करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

और

“कि व्यवसाय संघ, औद्योगिक स्थापन या उपक्रम में नियोजन की शर्तें, औद्योगिक विवादों के अन्वेषण तथा परिनिर्धारण और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों से संबंधित विधियों का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

और

“कि संगठित या असंगठित या किन्हीं अन्य सेक्टरों में सभी कर्मचारियों और कर्मकारों की सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा से संबंधित विधियों का संशोधन और समेकन करने के लिए और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

...(व्यवधान)

**माननीय सभापति:** श्री पल्लब लोचन दास जी ।

**श्री पल्लब लोचन दास (तेजपुर):** सभापति महोदय, आपने मुझे इस ऐतिहासिक महत्व के विषय पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । मैं अपनी पार्टी का भी धन्यवाद करता हूँ कि इस बिल की चर्चा में भाग लेने के लिए मुझे मौका दिया है ।

सर, भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद, जिन्होंने ये ऐतिहासिक कदम उठाए हैं । मैं माननीय मंत्री संतोष गंगवार जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा । सर, यह इतिहास बनने जा रहा है । आज का सत्र श्रमिकों के लिए सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा रिफॉर्म कभी भी कहीं हुआ नहीं था । आज

तक जितने भी कानून थे, हमारे 44 कानून थे, उनमें से हमने 12 को रिपील किया है। 44 कानून रहने के बाद भी श्रमिक की जो पोजिशन है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, डिग्निटी ऑफ लेबर आज भारत में क्या है?

इतने कानून रहने के बाद भी आज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ी नहीं है। हमने इस तरीके से कानून बनाया है, इनमें इतने कॉम्प्लेशन्स हैं, डेफिनेशन में कॉम्प्लेशन है, थ्रेशहोल्ड में कॉम्प्लेशन्स हैं और ट्रेड यूनियन हो या कोई भी एम्प्लॉयर हो या वर्कर्स यूनियन हो, किसी को समझ में नहीं आता है। इसके कारण श्रमिकों को जितनी सुरक्षा देनी चाहिए थी, वह सुरक्षा नहीं मिली। यह जो रिफॉर्म अभी आया है, इस रिफॉर्म के द्वारा एक यूनिवर्सलाइजेशन किया गया है। पहले जो कोड ऑफ वेजेज आया था, कोड ऑफ वेजेज में हम सभी वर्कर्स को मिनिमम वेज के कवरेज में लाएं। पहले तो मिनिमम वेज भी वर्कर्स को नहीं मिलती थी, पहले खाली सिटी में जितने वर्कर्स हुआ करते थे, उनको ही मिलती थी। हमने यूनिवर्सलाइजेशन किया और उसके कारण आज वर्कर्स को उसका बेनिफिट मिल रहा है। हमने कवरेज बढ़ाया है।

सर, मैं वेजेज कोड के बारे में बोलना चाहूंगा। हम लोगों ने 13 लॉ को समाहित करके एक कोड में डाला है। यहां पर हम लोग जितना सिम्प्लीफाई कर सकें, उसमें सिम्प्लीफाई किया गया है। यह जो लेबर कोड है, इसमें कैसे सिम्प्लीफाई तरीके से रजिस्ट्रेशन हो, कैसे एक लाइसेंस हो, कैसे यहां पर एक रिटर्न हो, इसका यहां पर प्रावधान किया गया है। थ्रेशहोल्ड भी मिनिमम, अगर दस श्रमिक रहेंगे, तो वेजेज कोड वहां पर इम्प्लिमेंट किया जाएगा। उसमें भी प्रावधान है कि अगर कहीं पर हेजाडर्स है या कहीं लाइफ थ्रेटनिंग इस्टेब्लिशमेंट है तो वहां पर एक वर्कर रहने से भी इनको बेनिफिट दे सकते हैं।

सर, यहां पर सबसे बड़ी बात है- माइग्रेंट वर्कर की। माइग्रेंट वर्कर के बारे में सब बोलते हैं। माइग्रेंट वर्कर की डेफिनेशन क्या थी? इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर, 1979 का जो एक्ट है, उस एक्ट में कान्ट्रैक्ट के थ्रू खाली यह लिखा गया था कि जहाँ पर ऑरिजनल स्टेट है, वहां पर भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा और जहां काम करने जाएंगे, वहां भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आप कान्ट्रैक्ट के थ्रू काम करेंगे, तभी आपको माइग्रेंट वर्कर बोला जाएगा। आज की डेट में सब माइग्रेंट वर्कर के बारे में बोलते हैं, पुरानी सरकार ने यह नहीं किया, उन्होंने कभी इनके बारे नहीं देखा। माइग्रेंट वर्कर की डेफिनेशन पहली बार मोडिफाई हुई है। आज कोई भी लोग खुद आकर काम करेंगे, तो उनको माइग्रेंट वर्कर का बेनिफिट मिलेगा। एम्प्लॉयर के थ्रू अगर वे काम करने आएंगे तो उनको माइग्रेंट वर्कर का बेनिफिट मिलेगा। वहां यह प्रोविजन भी डाला गया है कि जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट में हेल्प लाइन बनाई जाए। वहां पर हम लोग एक पोर्टल बनाएं, जिस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन हो और वह सेल्फ डिक्लेरेशन कर सके कि मैं माइग्रेंट वर्कर हूँ। माइग्रेंट वर्कर के जितने भी बेनिफिट्स हैं, वे बेनिफिट्स वर्कर्स को मिलेंगे। यह ऐतिहासिक कदम हमारी

सरकार ने इस बिल में प्रावधान करके लाया है। यह बहुत ही बढ़िया है। एक डेटाबेस बनेगा, पूरी इंडिया में कितने माइग्रेंट वर्कर्स हैं? अगर हम सब का रजिस्ट्रेशन करेंगे, मैं यह आग्रह करूँगा कि सब को एक यूनिक नम्बर भी देना चाहिए। अगर हम सब को एक यूनिक नम्बर देंगे, तो हमको डेटाबेस मिलेगा कि पूरे इंडिया में कितने माइग्रेंट वर्कर्स हैं। उनको हम लोग बेनिफिट दे सकते हैं। यह ऐतिहासिक कदम है।

इसमें एक और बड़ी बात है कि आज जितने भी इस्टेब्लिशमेंट हैं, अगर वहां पर इंक्वायरी की जाएगी, तो ज्यादातर लोगों के पास अपॉइंटमेंट लैटर नहीं है। अपॉइंटमेंट लैटर नहीं होने के कारण उनको बेनिफिट नहीं मिलता है। जो-जो बेनिफिट मिलना चाहिए, वह वर्कर भी साबित नहीं कर सकता है कि मैं यहां पर काम कर रहा हूँ। उसी तरह से वहां पर एक्सप्लॉइटेशन भी बहुत ज्यादा होता है। यह पहली बार हुआ है, हम लोग मेनडेटरी प्रोविजन यहां पर लाए हैं, जिससे सब को अपॉइंटमेंट लैटर देना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट लैटर देने से वर्कर्स की जो सोशल सिक्योरिटी है, उनकी वर्किंग कंडीशन है, जो भी राइट्स हैं, उनको हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे। यह बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है, लेकिन इतने सालों तक किसी ने इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दिया।

सर, वर्कर का हेल्थ चैक-अप कभी होता ही नहीं है। यहां पर पहली बार प्रोविजन लाया गया है, अब वर्कर का हेल्थ चैक-अप किया जाएगा। एन्युअली हेल्थ चैक-अप एम्प्लॉयर द्वारा किया जाएगा। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। हमारे असम में बहुत ज्यादा टी गार्डन्स हैं। टी गार्डन में जो प्रेगनेंट लेडी हुआ करती है, उनका जो एन्टीनेटल चैक-अप होता है, वह एन्टीनेटल चैक-अप कराने नहीं जाती है। वे चेकअप के लिए इसलिए नहीं जाती हैं, क्योंकि उनकी वेज लॉस होती है। वे चेकअप कराने के लिए नहीं जाती हैं। पिछले इतने सालों तक उनका हेल्थ चेकअप नहीं होता था। असम में हम लोग देखते हैं तो वहाँ मैटर्निटी मॉर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट भी बहुत हाई था। वर्ष 2016 में जब हमारी सरकार आई, हमारे विजन डॉक्यूमेंट में वहाँ पर बोला गया था कि हम टी गार्डन वर्कर्स के प्रोटेक्शन के लिए काम करेंगे और आज हमारी गवर्नमेंट एक प्रावधान लाई है, वेज काम्पन्सेशन की एक पॉलिसी लाई है। अगर गर्भवती महिला अपने एन्टीनेटल चेकअप के लिए जाएगी तो उनको 12 हजार रुपये का एक पैकेज दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा। यह प्रावधान हम लाए हैं, लेकिन इतने सालों तक यह प्रावधान नहीं था। पहली बार यह प्रावधान आया है। अगर हेल्थ चेकअप होगा तो वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और वर्कर्स अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। बहुत सारे वर्कर्स बहुत बीमार रहते हैं, लेकिन उनका हेल्थ चेकअप करने की कोई व्यवस्था नहीं है। अब यह हेल्थ चेकअप का जो प्रावधान आया है, यह बहुत ही बड़ा प्रावधान है और बहुत ही अच्छा है।

सर, जो फैमिली की परिभाषा थी, जो डिपेन्डेंट की परिभाषा थी, उस परिभाषा को भी हमने एक्सटेंड किया है। हमने उसमें विडो डॉटर को शामिल किया है, विडो सिस्टर को शामिल किया है और हमने उसमें ग्रैन्डपेरेन्ट्स को भी शामिल किया है। यह बहुत बड़ा प्रावधान यहाँ पर बदला गया है। सेफ्टी के लिए सेफ्टी ऑफिसर नियुक्त कर सकते हैं। उसके ऊपर भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए एक प्रावधान बनाया गया है, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो सेफ्टी ऑफिसर नियुक्त कर सकती है। हमारे जितने भी लॉ थे, सबमें हमारी एडवाइजरी कमेटी थी, कमेटी के मेंबर्स अलग-अलग रहते थे तो हर कमेटी की मीटिंग नहीं होती थी, लेकिन हम सारे पॉचों एक्ट्स को बदलकर एक कमेटी बना रहे हैं। हम नेशनल और स्टेट लेवल पर occupational safety and health advisory board बना रहे हैं, जिसके थ्रू हम सबको बेनीफिट दे सकते हैं और उनको सारा कुछ दे सकते हैं।

यहाँ पर इंस्पेक्शन की जो व्यवस्था थी, इंस्पेक्शन को वेब बेस्ड करने का प्रावधान है कि वेब बेस्ड इंस्पेक्शन हो। मैं असम के कंसर्न में एक बात बोलना चाहूँगा कि असम में प्लांटेशन वर्कर्स हैं और वहाँ प्लांटेशन वर्कर्स की स्थिति बहुत खराब है। इतने युग हो गए हैं, 200 साल से वहाँ प्लांटेशन वर्कर्स हैं, ब्रिटिश तो चले गए हैं, लेकिन ब्रिटिश समय के जो प्रोविजन्स हैं, रूल्स हैं, वे ऐसे ही रह गए हैं। स्टेट विद इन दी स्टेट टी एस्टेट बोला जाता है। स्टेट का जो भी कानून होता है, स्टेट के टी गार्डन में उस प्रोविजन को नहीं डाला जाता है, वहाँ पर काम नहीं होता है। इसे कभी भी किसी ने नहीं देखा। आज जो कांग्रेस की पार्टी बोल रही थी, कांग्रेस की सरकार बहुत साल तक असम में थी, स्टेट में उनकी सरकार थी और उनकी ही ट्रेड यूनियन भी थी, लेकिन आज भी टी गार्डन वर्कर्स की कंडीशन इतनी खराब है। आज भी आप टी गार्डन में जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ की पंचायत का जो भी प्रावधान है, उसके अनुसार डेवलपमेंट हम नहीं कर पाएंगे। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना गार्डन के अंदर नहीं होती है। राजीव गाँधी विद्युतीकरण योजना, यहाँ पर हमारे एमपी हैं, वे वहाँ पर पहले पावर मिनिस्टर भी थे, इंडस्ट्री मिनिस्टर भी थे, उनसे पूछिएगा, कभी भी वहाँ पर लाइट का कनेक्शन नहीं गया। क्यों नहीं गया? पंचायती राज में वोट तो उन्होंने डाले हैं, लेकिन उन्हें बेनीफिट क्यों नहीं मिला, क्योंकि हमने वह प्रोविजन देखा ही नहीं।

सर, प्लांटेशन लेबर एक्ट में मिनिमम वेज का ऐसा प्रोविजन था कि जितने भी टी गार्डन के वर्कर्स हैं, सब बोलते हैं कि प्लांटेशन लेबर एक्ट में अमेंडमेंट किया जाना चाहिए। मैं गर्व से बोलना चाहता हूँ कि आज हमारे लिए एक नया इतिहास है। आज प्लांटेशन लेबर एक्ट में अमेंडमेंट किया जा रहा है। मेरे लिए तो यह गर्व की बात है कि प्लांटेशन लेबर एक्ट में अमेंडमेंट हो रहा है और उसमें मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। यह ऐतिहासिक है। असम के जितने भी हमारे प्लांटेशन वर्कर्स हैं, सभी की तरफ से मैं भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और गंगवार जी को धन्यवाद देना चाहूँगा।



सर, मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि टी गार्डन में अगर कोई एमएलए या एमपी भी चाहे तो वहाँ पर हम एमपी या एमएलए फंड नहीं दे सकते हैं क्योंकि गार्डन मैनेजमेंट का एनओसी चाहिए होता है। हमने क्या प्रावधान किया, पहले उनको मिनिमम वेज दिया जाता है, मिनिमम वेज के लिए प्लांटेशन लेबर एक्ट में लिखा गया है कि उनको बेनीफिट देना चाहिए, सारा कुछ बेनीफिट है, लेकिन जब वेज निगोसिएशन होता है, तो उसे छोड़ दिया जाता है। वहाँ पर हमने एजुकेशन की सुविधा दी है, उन्हें घर की सुविधा दी है, मिनिमम वेज में उसको काटकर हमने 50 परसेंट कैश और 50 परसेंट में उस प्रावधान को रखा है।

आज टी-गार्डेन वर्कर्स की जो हालत है, यह ऑर्गेनाइज्ड एक्सप्लॉयटेशन है। कांग्रेस पार्टी के जितने भी लोग थे, उनकी सरकार, उनके ट्रेड यूनियन, सभी लोग इम्प्लॉयर के साथ मिल गए और टी-गार्डेन के वर्कर्स की ऑर्गेनाइज्ड एक्सप्लॉयटेशन हुई। यह पहली बार है कि इस एक्सप्लॉयटेशन को हमने रोका है। हमने यहां पर प्रावधान डाला है कि अभी हम टी-गार्डेन में, यदि केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, म्युनिसिपैलिटी या पंचायती राज व्यवस्था में वहां पर डेवलपमेंट करना चाहें तो हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसके लिए अब हमें एन.ओ.सी. की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका प्रावधान है। हमने वेजेज की परिभाषा को बदला है। यहां पर हम 15 प्रतिशत से ज्यादा काइन्ड नहीं दे सकते हैं। इसे 15 प्रतिशत पर ही प्रतिबंधित किया गया है। यह एक बहुत बड़ा प्रावधान है। इन दो प्रावधानों से हम टी-गार्डेन के वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा और बेनिफिट्स दे सकते हैं।

सर, मैं इंडस्ट्रियल कोड के ऊपर बोलना चाहूँगा। इंडस्ट्रियल कोड में भी हमने थ्रेशोल्ड बदला है। सुपरवाइजरी वर्कर्स को हम लोग पहले इंडस्ट्रियल कोड में नहीं लेते थे। लेकिन, यहां हमने उनके वेजेज को बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति महीने किया है, ताकि उनके भी ग्रीवांसेज ले सकें। हमने ग्रीवांसेज रिड्रेसल कमेटी बनाई है। इसके माध्यम से हम उनके ग्रीवांसेज को रिड्रेस कर पाएंगे। इसमें एक और बड़ी बात है कि वहां जितने भी वर्कर्स काम करते हैं, उनमें से महिलाएं भी उस ग्रीवांसेज रिड्रेसल कमेटी में होनी चाहिए।

हम लोग फिक्स्ड-टाइम इम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। इसे हम कॉन्ट्रैक्टर्स के माध्यम से करते हैं। वे लोग परमानेंट वर्कर्स के बराबर और सिमिलर नेचर के काम तो करते हैं, लेकिन उन्हें इसका कोई बेनिफिट नहीं दिया जाता। लेकिन, इस बिल में यह प्रावधान है कि सिमिलर वर्क के लिए परमानेंट वर्कर्स को जो बेनिफिट्स उपलब्ध हैं, वे सभी बेनिफिट्स उन्हें दिए जाएंगे। यहां तक कि उन्हें ग्रैच्युटी बेनिफिट्स भी देने का प्रावधान हमने किया है। यह बहुत ही अच्छा रिफॉर्म है।

सर, जहां तक ट्रिब्यूनल की बात है तो अभी हम लोगों ने ट्रिब्यूनल में दो मेम्बर्स देने के लिए कहा है क्योंकि ट्रिब्यूनल में मेम्बर न होने से हम काम नहीं कर पाते। हमने यहां पर ट्रिब्यूनल के लिए भी काम किया है। अगर कंसीलिएशन फेल हो जाती है और वह आपके पक्ष में नहीं होती है तो आप डायरेक्ट ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, इसका प्रावधान भी हमने इसमें किया है।

हमने रिट्रेंचमेंट बेनिफिट के लिए भी इसमें प्रावधान किया है कि हम रिट्रेंचमेंट बेनिफिट दे सकते हैं या अगर राज्य सरकार चाहे तो उसे बढ़ा भी सकती है। यह नई व्यवस्था है।

सर, स्ट्राइक के लिए भी हमने नई व्यवस्था की है। 14 दिनों का नोटिस दिए बिना हम स्ट्राइक नहीं कर पाएंगे और लॉकआउट भी नहीं कर पाएंगे। यह एक बहुत ही अच्छा प्रावधान है।

सर, हम यह बोलना चाहेंगे कि इसमें रि-स्किलिंग फण्ड का प्रावधान भी नया प्रावधान है। अगर किसी वर्कर की छँटनी हो जाती है, उसके अंतिम पन्द्रह दिनों के जो वेजेज हैं, उसके बराबर राशि उसे 45 दिनों के अन्दर देने का प्रावधान किया गया है। मैं यही बोलना चाहूंगा कि हम लोग इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आए हैं।

सर, मैं सामाजिक सुरक्षा की बात करना चाहूंगा। सामाजिक सुरक्षा के लिए हमने बहुत बड़ा प्रावधान यह किया है। सभी को ई.एस.आई.सी. और ई.पी.एफ.ओ. का कवरेज देने का हमने प्रावधान किया है। यह बहुत ही अच्छा प्रावधान है। पहली बार ऐसा हुआ है कि ई.एस.आई. कॉरपोरेशन के माध्यम से हम सभी वर्कर्स को हेल्थ बेनिफिट्स दे सकते हैं और ई.पी.एफ.ओ. के माध्यम से उन्हें हम सामाजिक सुरक्षा दे सकते हैं। यह एक बहुत बड़ा प्रावधान हम लोग लेकर आए हैं। यह बहुत ही अच्छा है।

सर, अभी एग्रीकल्चरल वर्कर्स के बारे में बोला जा रहा था। एग्रीकल्चरल वर्कर को भी हम इस सामाजिक सुरक्षा के द्वारा, यदि कोई असंगठित क्षेत्र का वर्कर है, तो उसे भी हम किसी एक्ट या किसी पॉलिसी या किसी स्कीम के माध्यम से ई.पी.एफ.ओ. या ई.एस.आई.सी. के बेनिफिट्स दे सकते हैं। यह एक बहुत बड़ा प्रावधान हम यहां पर लेकर आए हैं।

सर, हम यह भी बोलना चाहेंगे कि हम ग्रैच्यूटी के ऊपर भी एक नया प्रावधान लेकर आए हैं। पहले केवल एल.आई.सी. में ही हम ग्रैच्यूटी फण्ड रख सकते थे, लेकिन आई.आर.डी.ए. एक्ट के थ्रू हम लोग ग्रैच्यूटी फण्ड को दूसरी जगह भी रख सकते हैं।

## **17.00 hrs**

सर, पहले जो फैमिली की परिभाषा थी, उसको भी हमने बदला है। उनके जितने भी डिपेन्डेन्ट्स हैं, उनको हम लोगों ने यहाँ पर शामिल किया है। चाहे अनमैरिड डॉटर्स हों, सिस्टर्स हों, उन सबको शामिल किया गया है। हमने जो फैमिली की परिभाषा चेंज की है, उसके माध्यम से बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है।

सर, अब मैं प्लैन्टेशन वर्कर्स के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। हमारे यहाँ के एक माननीय सांसद जॉन बाला साहब थे, वह हमेशा बोलते थे कि क्या हम ईएसआईसी के बेनिफिट्स प्लैन्टेशन के क्षेत्र में दे सकते हैं? आज एक बहुत बड़ा दिन है, जहाँ पर हम लोगों ने प्लैन्टेशन के क्षेत्र में भी इसका एक्स्टेंशन किया है। हमने नए शेड्यूल में वर्कर्स के लिए भी एक्स्टेंशन किया है। हमने टी वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी सोशल सिक्योरिटी के माध्यम से बेनिफिट्स दिये हैं।

सर, वहाँ डेढ़ करोड़ वर्कर्स हैं। उनको भी हमने कवरेज में लिया है। आज सोशल सिक्योरिटी को व्यापक बनाया गया है। वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए और इसके ऊपर हमने काम किया है। उनके लिए सोशल सिक्योरिटी फंड बनाया गया है। इस फंड के माध्यम से हम हर वर्कर्स को बेनिफिट दे सकते हैं। हमारे जितने भी वर्कर्स हैं, उन सभी को हम इसका बेनिफिट दे सकते हैं।

सर, मैं कहना चाहता हूँ कि हमने जो सोशल सिक्योरिटी फंड बनाया है, इसके माध्यम से हर वर्कर्स को बेनिफिट मिलेंगे। हर वर्कर्स सामाजिक रूप से सुरक्षित महसूस करेगा। हर वर्कर्स का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। आज इंडिया में वर्कर्स का जो माहौल है, हम उसको बदल रहे हैं। सर, इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है, वर्कर्स के बारे में हम लोगों ने इतनी व्यापक चर्चा करके उनके लिए बदलाव करने का काम किया है। इतने सालों में वर्कर्स के लिए किसी को काम करने के लिए टाइम नहीं मिला। आज उनकी छोटे-छोटे चीजों पर भी डिस्कशन हो रहा है। सारे ट्रेड यूनियन उनके थे, उनकी ही गवर्नमेंट थी, लेकिन कभी भी सिम्प्लिफाई तरीके से वर्कर्स को समझने के लिए एक्ट नहीं बनाया गया। हमने ऐसा एक्ट बनाया था, जो वर्कर्स को समझ में नहीं आता है। उस एक्ट में हमने ऐसा प्रावधान किया, जिसके बारे में वर्कर्स को मालूम नहीं कि कौन-से एक्ट में क्या प्रावधान है, कहाँ पर क्या राइट है। इतिहास में पहली बार ऐसा एक्ट बनने जा रहा है, जब हम चार कोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे।

लेबर्स के जितने भी राइट्स हैं, उन सभी राइट्स को हम प्रोटेक्शन दे सकते हैं। हम सब को मिलकर एक नया इंडिया बनाना है। इसका जो कॉन्सेप्ट है, उसमें नया इंडिया बनाने के लिए वर्कर्स के लिए रिफॉर्म्स लाने बहुत ही जरूरी है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी और संतोष गंगवार जी ने इसका पहल आज स्टार्ट कर दी है।

सर, मैं आशा करता हूँ कि इस एक्ट के माध्यम से हम जो प्रोविजन ला रहे हैं, वह देश का पूरा माहौल बदल देगा। इससे वर्कर्स के मन में एक नई जागृति आएगी। वर्कर्स की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होती है, उसमें वर्कर्स भी डिग्निफाइड तरीके से जीना चाहते हैं। वर्कर्स की जो थिंकिंग है, उसको बढ़ाकर हम और आगे ले जाएंगे। वर्कर्स गर्व महसूस करेंगे कि उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हर लेवल पर बढ़ाया गया है। जो महिला वर्कर्स हैं, उनको भी यहाँ इंकलूड किया गया है। महिला वर्कर्स के लिए जो हर तरफ से प्रतिबंध था, उसको आज दूर किया गया है। हम लोग वर्कर्स को हर तरह के बेनिफिट्स देने के लिए यह प्रावधान लाए हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि हमने जो परिवर्तन की बात की थी, उसके लिए हमने अपने विजन डॉक्यूमेन्ट में बात की थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इंडिया के वर्कर्स के बारे में एक कमिटमेन्ट की थी। हमारी पार्टी ने बोला था कि इस विजन डॉक्यूमेन्ट को हम लागू करने जा रहे हैं। इस नए रिफॉर्म्स के माध्यम से हम लोग वर्कर्स के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और डिग्निटी को बढ़ाने जा रहे हैं।

सर, इस मौके पर मैं सभी वर्कर्स को बधाई देना चाहूँगा। हमारे असम में जो प्लैन्टेशन वर्कर्स हैं, उनकी तरफ से मैं बोलना चाहूँगा कि आज का दिन हमारे लिए इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। आज प्लैन्टेशन वर्कर्स एक्ट में भी अमेंडमेंट हो रहा है और उसमें मुझे बोलने के लिए मौका मिल रहा है।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

**SHRI PINAKI MISRA (PURI):** Hon. Chairperson, Sir, thank you for giving me this opportunity to participate in this discussion.

These three Codes that have been brought by the Government today to Parliament consolidate 25 Central laws which is an extraordinary event, I believe. I do not believe that an exercise of this nature has been ever attempted in the past because together these Bills have 411 clauses, 13 Schedules and comprises of 350 pages. It is something extraordinary. I am not sure how many hon. Members have, in this short period of time, been able to read them. I am sure, the Minister has had a painstaking job in putting this together. The Standing Committee, under the Chairmanship of my distinguished colleague Shri Bhartruhari Mahtab, has, of course, laboured literally over many months on many of the key provisions of this Bill. The Government says that it has accepted almost 74 per cent of the recommendations of the Standing Committee.

Sir, be that as it may, there are many novel features which I need to flag before this hon. House for discussion as well as for the hon. House to cogitate upon. There are three Codes that are being brought, the first Code, of course, was, in the entire compendium, the Wages Code which was brought in 2019 and we all welcomed it at that point in time. Now, of these three Codes, one is the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020. One of the criticisms that we have seen has been the excessive use of delegated legislation that unfortunately is running through most of these Codes. This is something that I have personally seen. Shri Ravi Shankar Prasad ji, the hon. Law Minister, will appreciate that sometimes delegated legislation can create all sorts of problems. For instance, the Code does not specify many of the provisions with regard to the earlier Acts, for example, guaranteed access to drinking water, canteen, washrooms etc. These all have been left out now for delegated legislation, to be done by rules. Some minimum corpus of health and safety standards, I think, ought to have been defined in the Code itself and could very easily have been done and I think, might have been salutary.

The other thing is about clause 127 which allows the Central and the State Governments both or either to exempt by notification any establishment from the provisions of this Code. Now, this growth in economic activity cannot obviously provide a *carte blanche* for

suspension of basic health and safety standards. This is something that the House must consider carefully whether this should be permitted and allowed in a Code which is now being brought in.

I must straightway tell the House that in the context of the State of Odisha, the Standing Committee, in fact, has commended the many novel initiatives which have been adopted by the Government of Odisha both inside and outside the State for the benefit of occupational safety, health, and working conditions of the inter-State migrant workers during this period. Many people say that there are a lot of migrant labourers going out of Odisha to work outside and there are not enough employment opportunities in the State of Odisha. That is entirely wrong. My friends who keep saying that must understand that there is an equally large number of people who come from neighbouring States to work in Odisha. India is one country where there is freedom of movement. Everybody, according to their skill set, works in particular conditions in particular industries. So, let us not say that people go out of Odisha because the State of Odisha has not developed enough. But the point is that many welcome initiatives like the *Shramik Sahayata* helpline, Migrant Labour help desk, Seasonal Hostels of Children for migrant workers, and the strengthening of anti-human trafficking unit are all important provisions that we have brought in which can be considered at some point of time because these Codes will, undoubtedly, see many amendments and changes over the years because these cannot be static and nothing is carved on stone. Therefore, I have no doubt about this.

The other thing that we have done in the State of Odisha, which I also need to flag, is that we have also given a couple of suggestions to the Central Government. The 'appropriate government' in clause 2 (i) (d) needs to be relooked by the Central Government because the Central Government seems to now want to appropriate everything to itself. You must understand that law and order is a State subject. Therefore, the State Government ought to be the 'appropriate government' for the purpose of occupational safety and health in Central Government factories and other major ports because these are now all being administered by the State

Government. So, you cannot have the State Government administering them and the Central Government be the 'appropriate government'. This is something that the hon. Minister will probably need to look into.

Sir, one salutary thing that we have done in Odisha, for instance, is about this whole concept of 'Inspector Raj'. Clause 2(i)(k) of the Code still talks of 'Chief Inspector/Facilitator'. In Odisha we have now called them 'Director'.

I think the word 'Inspector' has a certain connotation which harks back to some bad times of 60s, 70s or 80s when the people, who are missing here, used to run an *Inspector Raj* in this country. Those days are now gone. Therefore, perhaps the nomenclature needs to change with the times as well.

Section 2(1)(zz) defines the term "worker". You must re-look into this definition of a worker as one who is drawing Rs. 18,000. I think it is too low a threshold. I think MSMEs etc. will really find a very large number of workers who will go out of the pale of the workers. Workers, I think in today's day and age and as per our level of inflation, should not get less than Rs. 30,000. I think Rs. 30,000 should be a basic benchmark for workers today. Basically, it comes to Rs.1200 a day. So, I think this *dihadi* ought to be there. I think the definition of "worker" needs to be re-looked into. This is such a large Code that one cannot talk of everything. So, I am only talking about very basic things.

The Second Code, of course, is the Code on Social Security. Now, Clause 142 mandates Aadhar verification. This is something that we have all debated again and again. The Supreme Court has said that it can be done by legislation. Now, this again does not do it by legislation necessarily because you have left it to delegated legislation. So, you insist upon Aadhar by delegated legislation. Please have a look at it because Odisha has set an example again. During the COVID-19 pandemic, we exempted Aadhar verification for obtaining goods under the PDS system because many people did not have it.

The other thing that I need to show is that there is some delegated legislation again on some other issues, but I am not going into that as it is going to take too much time if I look into it. What I would rather flag is that we have a serious problem with Section 100 (2) of this Social Security Code. These Sections 100(2) and 100(3) are something that the Odisha Government and all State Governments will have a serious problem with. One of the criticisms obviously of this legislation is going to be that there is a lot of encroachment upon the powers of the States. The objective of the Building and Other Construction Workers' Welfare Cess Act is to augment the resources of the State BoC Boards constituted under the Building and Other Construction Workers Act. Here again, the Central Government has sought to move in and says, "as may be prescribed by the Central Government". Section 100(3) says, "or any other authority in such manner as may be prescribed by the Central Government". I think this encroaches far too deep into the domain of the State Government. These are basic bulwarks of the State Government which the State Government uses for benefic social causes. Therefore, I urge upon the Central Government to re-visit and re-look into this at some point in time.

The last bit is, of course, the Industrial Code. Now, on the Industrial Code, I have a very serious concern. Hon. Law Minister will again bear with me on this. Clause 55(4) on the dispute resolution mechanism allows the appropriate Government, State or Centre, to modify or reject an award issued by the Tribunals in the interest of 'public grounds affecting national economy or social justice'. The hon. Minister will recall it since he is a senior counsel of great eminence. There was an identical provision of Section 17A in the Industrial Disputes Act. This was struck down by the Andhra Pradesh High Court earlier. A similar provision was also struck down by the Madras High Court. This is bound to be challenged. You cannot undo a quasi-judicial court's order by legislation or by executive action. Therefore, I believe that something like Clause 55(4) is not going to stand and if it is challenged, then it is not going to stand the scrutiny of the courts.



Apart from that, there are many other provisions in Industrial Relations Code which have diluted the provisions with regard to trade unions and strikes. One particular thing which leaves me a little concerned is the fact that theoretically this Code leaves open the possibility of an employee who is working on a fixed term contract almost indefinitely. Now, that is something that is not desirable at all and I think it is something that the Government will probably need to re-look into at some point of time.

Clause 40 also allows the employer to change conditions of service related to suspension, misconduct and means of redress without giving any notice to the worker. This again tilts the balance of power towards the employer leaving the employee in a very vulnerable situation.

Clause 9 is for registration of trade unions. The notes on clauses included towards the end of the Bill require the Registrar to decide on the approval/refusal of registration within 45 days. However, the actual text of the clause, Mr. Minister, does not specify this. The notes require the Registrar to give reasons for refusing registration. This is again missing in the actual text. The reasons are only required to be given in the case of cancellation of certificate or registration and not for refusal of registration. That is not a happy situation.

So, we see that many of the essential features of the law, which were there in 2019 - and now, of course, the Minister has withdrawn - are no longer specified in the Codes and have been delegated to be prescribed by the Government through rules.

My feeling and the feeling of a number of newspapers today is this. Even today morning, many of the editorials feel that many of these important questions should have been hard coded into the Act itself rather than being left to delegated registration. All I can say is that it has been a painstaking exercise like I said in the beginning. It has creases. Something which runs into 350 pages and 411 Clauses is bound to have creases. I am not therefore shying away from the fact that while the Government's intent is good, for going

forward, the Government may need to iron out many of these creases. Be that as it may, our Government is duty bound since it is in the interest of the nation. It is in the interest of furthering the business climate and ease of doing business in India. Therefore, our State Government under Chief Minister, Shri Naveen Patnaik, is happy to support this piece of legislation brought today but many of these issues need to be ironed out.

I would request the Government to kindly look into these matters and, over a period, try and iron out these issues. Thank you very much, hon. Chairman, for being patient.

**SHRI MARGANI BHARAT (RAJAHMUNDRY):** Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on these three historic Codes. Myself and my Party, YSR Congress Party, strongly believe that these reforms will certainly transform the way the world looks at various labour issues in India. We are confident that these reforms would further push us upwards in ease of doing business in our country, help in attracting more FDI, and attract companies who want to migrate especially from China.

Sir, codifying 44 labour laws into just four Codes is a Herculean task and I compliment the hon. Labour Minister, Shri Gangwar, for this noteworthy contribution. I also compliment him for accepting as many as 175 recommendations made by the Standing Committee on Labour. The House must be aware that we had already passed one Code on wages and the remaining three are before the House for consideration and approval.

It really pained me that as many as ten labour unions in the country have gone to the ILO complaining against the Government of India. Their main contention is that, without consulting these labour unions, the Government has gone forward in framing these Codes but it is really unfortunate that we ourselves are taking our internal affairs to the international bodies without any rhyme or reason. If I remember correctly, I am saying this since I have been following these Codes since their draft stage. There were as many as nine tripartite consultations and ten inter-Ministerial consultations on these Codes. Many suggestions came from the public, and others. I would like to express my views on each Code. I will start with the Code on Social Security, 2020.

Sir, we have been waiting since a couple of decades to see this Bill come up. There are nine enactments on social security. A poor labourer does not know to which Act he has to refer. If there is any issue, he has to run from pillar to post to get justice. But now, with all these nine enactments amalgamating in one Code, it becomes easy for each and every worker to refer to one single legislation for all his problems relating to the social security. So, it is really welcome.

Sir, the second point of this Code covers the gig workers and the platform workers. We have so far kept them outside as far as social security is concerned. Many of us are not aware of these gig workers and the platform workers. Clause 2 (35) defines who constitute gig workers. A gig worker is a person who performs work or participates in work arrangements, and earns some money which is outside the conventional employee-employer relationship. There are almost 1.5 million gig workers in the country, working in delivery start-ups or as a driver-partners in Ola, Uber, e-commerce companies, etc.

The other new category of the workforce is the 'platform workers' which is defined under Section 2(61). The platform workers are those who are on the online platform to access organisations or individuals to provide specific services. So, including these two categories, and providing them social security is also welcome.

Here, one of the main problems is registration of workers. There are lakhs of workers who do not know what the benefits are, be it social security or otherwise, given by the Government of India. For example, under Clause 114 of this Bill, there are exclusive schemes for gig workers and platform workers. But unless and until, they get registered, they cannot avail these benefits. So, I suggest for consideration of the hon. Minister to take up the registration of gig workers and platform workers on a mission mode so that we can see all of them covered under the social security benefits.

Sir, we have been talking about unemployment, and how our GDP is getting low. We need to address the problem of unemployment. I would like to give you a fair example of how our Government in Andhra Pradesh is tackling the system of unemployment under the pragmatic leadership of the hon. Chief Minister, Shri Y.S. Jaganmohan Reddyji. We have created a formula of Village Secretariat and Volunteer System for every 50 households. We have set an all-time record, and generated 4 lakh jobs in a span of four months. This has all happened after his assuming the Chair.

Sir, the next point I wish to make is relating to the constitution of the Board of Trustees of the EPFO. Here, under Clause 4(1)(c), it is said that 15 Members from the State Governments would be appointed by the Central Government. It means, it is up to the Government of India to appoint whoever it wishes. In such a case, if it happens to be the NDA in power, it will certainly deny representation on the Board for the Opposition Parties, and it will also happen *vice-versa*....(*Interruptions*) Sir, please give me five more minutes. ...(*Interruptions*)

**HON. CHAIRPERSON:** No, please conclude in two minutes.

**SHRI MARGANI BHARAT:** Sir, there are three Bills....(*Interruptions*) Please give me five minutes. We have been allotted 15 minutes of time, and the Opposition is also not there. We are supporting the Bill, Sir. ...(*Interruptions*)

**HON. CHAIRPERSON:** Please make it quick.

**SHRI MARGANI BHARAT:** Sir, I suggest for the consideration of the hon. Minister to appoint 15 Members from the State Governments on rotation basis so that all the States would be given the opportunity. Then, same is the case with Clause 5(1)(d) and Clause 6 (2)(vi). So, I would request the hon. Minister to appoint them on rotation basis.

Sir, I would like to make one more point regarding the superannuated bank employees. If the hon. Minister of Finance is present here, she can understand the context. We have discussed about the retired bank employees earlier also. I would like to know why the updating of the records of bank pensioners has not been done. Why has the updating of their records not been done? Where will the poor retired bank employees go and how will they go? Have they not strived for the building of our nation? So, I request the Government to look into this matter of superannuated bank employees and quickly update their records.

I now come to the Industrial Relations Code. As I said in my introductory remarks, implementation of labour reforms is the need of the hour in our country. There are as many as 100 labour laws in the country and most of the companies find it impossible to follow this myriad of laws. So, these four Codes would be handy and easy to interpret.

The workers and the unions have been opposing Clause 28 (1) of this Bill which says that any establishment which employs less than 300 workers can hire and fire workers without any permission from the Government. I feel it is too harsh a provision and simply tripling the number from 100 to 300 is not justified. So, I suggest for the consideration of the hon. Minister to withdraw this Clause.

**HON. CHAIRPERSON:** Please conclude.

**SHRI MARGANI BHARAT:** Sir, there is one more Bill. Please give me two minutes more.

I urge the Minister to withdraw this Clause because a company which employs 300 workers is not a small company. So, we also need to look after the job security of the workers. Earlier, the same provision was removed from the Bill of 2019. But I do not understand why it has been brought back in this particular Bill.

My next point is about the fixed term contract. There is no doubt that the Code provides that the fixed term employee will get all the benefits like that of a permanent worker, such as gratuity and other social security benefits. But the Government is allowing the companies to hire workers for short term instead of appointing them permanently or even on contract basis. What the companies would do, they will hire people only during the season and fire them once the work is over. So, where will they go? The companies mostly prefer to hire majority of their workers on contract basis. Moreover, in a country like India which has a huge labour force, this will only add to the problems of the workers.

**HON. CHAIRPERSON:** Please conclude now.

**SHRI MARGANI BHARAT:** Sir, please give me some more time.

**HON. CHAIRPERSON:** No; please conclude now. It is enough. Please make your points very quickly.

**SHRI MARGANI BHARAT:** Sir, when we fall into the same vicious cycle of unemployment, it will certainly lead to lower GDP also.

I would like to give one more example here. Even in Government undertakings like ONGC, employees like Field Operators, Executives, Medics and Paramedics are being appointed only on contract basis. So, I request the Government of India to absorb them permanently in their organisation.

**HON. CHAIRPERSON:** Please conclude now.

**SHRI MARGANI BHARAT:** Sir, kindly give me two minutes more. I will make my concluding remarks.

**HON. CHAIRPERSON:** Mr. Bharat, please conclude in two sentences now.

**SHRI MARGANI BHARAT :** Sir, with your permission, I would like to make few points relating to Andhra Pradesh and I would request the hon. Minister to consider all these points and take appropriate action for resolution.

There are only 38 ESI empanelled private hospitals in Andhra Pradesh. More private hospitals are needed to be empanelled. A new ESI Hospital was sanctioned for Kakinada, Rajahmundry, Guntur, Nellore, Visakhapatnam and Vizianagaram. I would request the hon. Minister to kindly share the present status of these hospitals which are to be started.

**HON. CHAIRPERSON:** Okay. Thank you.

Shri Virendra Kumar will speak now.

**डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़):** सभापति महोदय, आपने मुझे उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 विधेयकों पर बोलने का मौका दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जाहिर है कि यह बहुत रोचक है, क्योंकि हिन्दुस्तान की आजादी के 73 सालों में कभी भी इस प्रकार का ठोस, रचनात्मक और व्यावहारिक कदम उठाने का पूर्व की सरकारों द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया, जो उनकी कार्यशैली और संवेदनशीलता को परिलक्षित करता है। वहीं दूसरी ओर यह अत्यन्त क्रांतिकारी कदम है। यह भारत के असंख्य मजदूरों, कर्मकारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाले करोड़ों लोगों के जीवन में मूलभूत तथा दूरगामी सुधार लाएगा। इस कदम को हिन्दुस्तान के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी की परिकल्पना और हमारे श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री संतोष गंगवार जी के साहस का मूर्त स्वरूप कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

सभापति महोदय, मैं अपनी बात इन पक्तियों के साथ प्रारम्भ करना चाहता हूँ। हमारे सामने वाले मित्र चले गए हैं। “पहले वे आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वे आप पर हसेंगे, फिर वे आपसे लड़ेंगे और तब आप जीत जाएंगे” सभापति महोदय, यह पंक्तियां किसी और की नहीं हैं, बल्कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की हैं। आज के संदर्भ में महात्मा गांधी जी की पंक्तियां किस प्रकार सार्थक हैं और कितनी सार्थक हैं, उसका विश्लेषण मैं अपने भाषण में करूंगा।

सभापति महोदय, वर्तमान में हिन्दुस्तान की आबादी करीबन 134 करोड़ के आस-पास है। इतनी बड़ी आबादी में बहुत बड़ा प्रतिशत मजदूरों, कर्मकारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाले लोगों का है। इन सभी की वेतन सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और बेहतर कार्यदशा इत्यादि को संचालित करने के लिए देश के आजाद होने के तत्काल बाद से प्रयास किए गए। इस दिशा में कारखाना अधिनियम एक सर्वोत्तम प्रयास था। जिसे वर्ष 1948 में इसी संसद द्वारा बनाया गया। उसके पश्चात वर्ष 2013 तक यानी कि हिन्दुस्तान में मोदी सरकार के बनने के ठीक पहले तक देश के पास 29 केन्द्रीय श्रम अधिनियम थे। यह रोचक बात है कि इन 29 केन्द्रीय श्रम अधिनियमों में से आधे से अधिक 50 वर्ष से अधिक पुराने हैं और कुछ तो 70 वर्ष पुराने हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की सरकार ने इन्हें बदलने का प्रयास नहीं किया, परन्तु वास्तविकता यह है कि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने समय-समय पर इनमें परिवर्तन तो किए, लेकिन ये परिवर्तन किस प्रकार के थे, मैं बताना चाहता हूँ। मैं एक सामान्य मजदूर परिवार से आया हूँ। मेरी साइकिल रिपेयरिंग की दुकान थी तो मैं उसका उदाहरण देना चाहता हूँ। इनके द्वारा जो प्रयास किए गए, वे ऐसे किए गए कि कभी साइकिल का पहिया बदल दिया, कभी उसका हैंडल बदल दिया, कभी उसका ब्रेक बदल दिया तो कभी उसका टायर बदल दिया। एक समय ऐसा भी आया कि न तो वह साइकिल रही और न ही मोटरसाइकिल बन पाई। ऐसी दशा हमारे सभी केन्द्रीय श्रम अधिनियमों की हुई। विगत वर्षों में इन केन्द्रीय श्रम अधिनियमों में इतनी ज्यादा पाबंदियां लगाई गईं कि ये न तो कर्मकारों को कोई अल्पकालिक या दूरगामी लाभ पहुँचा सकें और न ही नियोक्ताओं को कोई प्रेरणा दे पाएँ। हम हिन्दुस्तान में



काम करने से अपने साथ देश की तरक्की का मार्ग प्रशस्त कर सकेंगे। इन श्रम अधिनियमों से देश में लिटिगेशन यानी विवादों की संख्या में भी अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिली, जिससे किसी को लाभ नहीं हो पाया बल्कि इससे सभी वर्गों को हानि उठानी पड़ी।

सभापति महोदय, इन केन्द्रीय श्रम अधिनियमों में समय के साथ मूलभूत परिवर्तन न करने की इच्छा शक्ति के अभाव के कारण देश को अभूतपूर्व क्षति उठानी पड़ी, क्योंकि कई केन्द्रीय श्रम अधिनियम तो आपस में इतने विरोधाभासी हो गए थे कि इन विरोधाभासों के कारण जहां एक ओर कर्मकारों में काफी असंतोष था, वहीं नियोक्ताओं में भी काफी निराशा थी। ऐसी दशा में देश के यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने एक क्रांतिकारी कदम की नींव रखी और इस दिशा में कार्य करना प्रारम्भ किया। इन परस्पर विरोधाभासी 29 केन्द्रीय श्रम अधिनियमों पर समग्र रूप से विस्तृत अध्ययन किया जाए और एक आसान तरीके से समन्वय स्थापित करके केवल चार संहिताओं में समावेश किया जाए, जो सर्वव्यापी हो।

सभापति महोदय, जब सरकार की यह मंशा मीडिया के माध्यम से परिलक्षित हुई तो ठीक उसी समय से हमारे उस ओर सामने बैठने वाले मित्र एक्टिव हो गए और उनके द्वारा हमारे ऊपर तरह तरह से उपहास किए गए, हँसी उड़ाई गई, इसके पश्चात हमारे मित्र लड़ने की मुद्रा में आ गए और कहने लगे कि हमारी सरकार कर्मकारों के हितों को ध्यान में न रखकर नियोक्ताओं के हितों को संरक्षित कर रही है।

सभापति महोदय, इन सभी घटनाक्रमों को एक क्रमवार रूप में देखकर ही मैंने अपने भाषण के प्रारम्भ में महात्मा गांधी जी की उन पंक्तियों को उद्धृत किया था कि “वे पहले आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वे आप पर हँसेंगे, फिर वे आपसे लड़ेंगे और जब ये संहिताएं मूर्त रूप लेने जा रही हैं तो इस पंक्ति के तीन शब्द भी सत्य प्रतीत होते हैं कि आप जीत जाएंगे।

सभापति महोदय, मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूं कि इन संहिताओं से संबंधित कानून बनने से हम नहीं जीतेंगे, बल्कि हमारा देश जीतेगा, हमारे मजदूर भाई जीतेंगे और हमारा नियोक्ता वर्ग जीतेगा।

सभापति महोदय, समय के साथ हमारी यह उड़ान किसी भी दशा में नीचे गिरने के भय से ग्रसित नहीं थी। मुझे ये पंक्तियां याद आ रही हैं:

“परिन्दों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की,

वे खुद ही तय करते हैं मंज़िल आसमानों की ।  
रखता है जो हौसला आसमां को छूने का,  
नहीं होती है परवाह उसे गिर जाने की ।”

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से, आज के विषय के तीनों श्रम कानूनों – उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और औद्योगिक संबंध संहिता की कुछ मूलभूत विशेषताओं पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस संहिता में 13 महत्वपूर्ण अधिनियमों, जिनमें कारखाने, खान, यार्ड, कर्मकार, भवनों एवं सन्निर्माण कर्मकार, बागान श्रम, ठेका श्रम, प्रवासी कर्मकार, श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी, मोटर परिवहन कर्मकार, विक्रय संवर्धन कर्मचारी, बीड़ी तथा सिगार कर्मचारी, सिनेमा कर्मकार और सिनेमा थिएटर कर्मकारों से संबंधित 13 अधिनियमों की आवश्यक विशेषताओं को सम्मिलित किया गया है। अभी तक की व्यवस्था में एक प्रतिष्ठान को कई तरह का पंजीकरण कराना पड़ता था, जिससे कई व्यावहारिक समस्याएं उत्पन्न होती थीं और विदेशी निवेशकर्ता भी अपनी पूंजी हमारे देश में लगाने से पहले 100 बार सोचते थे। अब चूंकि केवल एक पंजीकरण से काम पूरा हो जाएगा, अतः देश में न केवल पूंजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि हमारे प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी का भारत को पांच ट्रिलियन इकोनोमी बनाने का सपना भी जल्द पूरा होगा।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने वाले पत्रकारों को भी इसमें शामिल करने के लिए श्रमजीवी पत्रकार की परिभाषा में संशोधन का जो प्रस्ताव लाया गया है, वह वास्तव में बहुत स्वागतयोग्य है और श्रमजीवी पत्रकार वर्ग के क्षेत्र में इसकी भूरि-भूरि सराहना हो रही है। जो परिवार की परिभाषा है, उसमें कामगार के आश्रित दादा-दादी को शामिल किया गया है। कई बार किसी कर्मकार के माता-पिता का निधन हो जाता है, लेकिन उसके दादा-दादी, नाना-नानी उसके ऊपर निर्भर होते हैं। इसलिए इसमें दादा-दादी और नाना-नानी को भी शामिल करने के लिए परिवार की परिभाषा में न्यायपूर्ण विस्तार किया गया है। विडो बहन और विडो पुत्री को भी इसमें शामिल किया गया है, जिससे बागान अधिनियम के अंतर्गत कामगारों की मृत्यु के मामले में प्रतिपूर्ति जैसे कल्याण लाभ प्राप्त होंगे। नियोक्ताओं के द्वारा नियत जांचों के लिए जो निर्धारित आयु है, उस निर्धारित आयु से अधिक आयु वाले कर्मचारियों की भी निःशुल्क स्वास्थ्य जांच करायी जानी है, जिससे स्वास्थ्य लाभ लेने हेतु कर्मकारों में मनोबल बढ़ेगा। कम से कम दस कर्मचारियों वाली कंपनी, फैक्टरी या अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान को अपने प्रत्येक कर्मचारी को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य किया गया है। बगैर नियुक्ति पत्र दिए, वे अपने कर्मचारी से काम नहीं ले सकेंगे। इससे कर्मचारी भविष्य निधि व राज्य जीवन बीमा निगम को बढ़ावा मिलेगा।

सिने कामगारों की परिभाषा में संशोधन कर इसे और व्यापक बनाया गया है, जिससे टेलीफिल्म, दूरदर्शन इत्यादि पर दिखाई जाने वाली फिल्मों के कामगारों को भी इसमें शामिल किया गया है। यदि किसी उपक्रम में दुर्घटनावश कोई कर्मकार जख्मी हो जाए या फिर उसकी मृत्यु हो जाए तो न्यायालय द्वारा नियोक्ता पर जो दण्ड लगाया जाएगा, उसका 50 प्रतिशत भाग दुर्घटना के शिकार व्यक्ति या उसके आश्रितों को दिया जा सकेगा। महिला कर्मकारों को पहली बार शाम 7 बजे के बाद तथा प्रातः 6 बजे से पहले के अंतराल में किसी प्रतिष्ठान में काम करने की इजाजत दी गई। इससे अब सही मायने में महिलाओं और पुरुषों में बराबरी के सिद्धान्त को देखा जा सकेगा।

मानव संसाधनों की आपूर्ति करने वाले ठेकेदारों के लिए केवल एक लाइसेंस होगा, जो अखिल भारतीय होगा, यानी पूरे देश में काम करने की सुविधा देगा। ऐसी व्यवस्था इसमें की जा रही है। इसका लाभ यह होगा कि प्रत्येक बात पर सरकारी मशीनरी का हस्तक्षेप कम होगा, साथ ही भ्रष्टाचार में कमी आएगी और कागजी काम भी कम होगा। जुर्माने की राशियों को भी प्रभावी रूप से बढ़ाया गया है, ताकि नियमों का पालन यथोचित प्रकार से सभी नियोक्ताओं द्वारा किया जाए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंस्पेक्टर राज को प्रभावी रूप से कम करने के लिए भी इस संहिता में स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। अब इंस्पेक्टर के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया गया है। संहिता में इंस्पेक्टर-कम-फेसिलिटेटर का प्रावधान यह स्पष्ट करता है कि एनडीए की सरकार इंस्पेक्टर राज को समाप्त कर फेसिलिटेटर की भूमिका बढ़ाना चाहती है, जो व्यापार और उद्योग की उन्नति के लिए आवश्यक है। मजदूर इंस्पेक्टर के बारे में सोचता है कि यह नियोक्ता का व्यक्ति है और नियोक्ता यह सोचता है कि यह शासकीय व्यक्ति न जाने हमारे लिए कौन सी परेशानी खड़ी कर देगा। इस तरह से एनडीए सरकार ने जो इंस्पेक्टर-कम-फेसिलिटेटर का प्रावधान किया है, वह बहुत ही स्वागत योग्य कदम है।

सामाजिक सुरक्षा संहिता वास्तव में सामाजिक सुरक्षा संगठन, कर्मचारी भविष्य निधि, केन्द्रीय राज्य बीमा निगम, प्रसूति प्रसुविधा, कर्मचारियों के लिए प्रतिकार भवनों एवं अन्य निर्माण कर्मकारों के संबंध में सामाजिक सुरक्षा और उपकर, असंगठित कर्मकारों के लिए भी सामाजिक सुरक्षा आदि विषयों को इस प्रकार परिभाषित करती है, जो समय के अनुरूप है और आने वाले समय में भारत के निर्माण में एक सक्रिय भूमिका निभाएगी।

इसी प्रकार औद्योगिक संबंध संहिता मूलतः विवादों की मध्यस्थता के लिए प्रावधान, औद्योगिक विवादों के समाधान के लिए सशक्त तंत्र, हड़ताल, छटनी और बंदी के कुशल प्रावधान, जिससे किसी भी पक्ष को कोई असुविधा न हो तथा अनुचित संप्रवाह जैसे नियमों को अपने में समाहित किए हुए है। देश में पहली बार दो दर्जन

से अधिक श्रम संबंधित कानूनों को केवल चार कानूनों में समाहित करने का क्रांतिकारी और साहसपूर्ण निर्णय हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने लिया है। वर्तमान में 13 अधिनियमों में से सात अधिनियमों के अंतर्गत अलग-अलग विवरणी फाइल की जाती है, जिसके अंतर्गत एक विवरणी प्रस्तावित है, जिससे रजिस्ट्रों की संख्या न्यूनतम हो जाएगी और ई-गवर्नेंस को बढ़ावा मिलेगा। निःसंदेह इससे हमारे मित्रों को कुछ नज़र आ सकती हैं, लेकिन जब इन कानूनों को क्रियावित किया जाएगा और इनका सतत रूप से मूल्यांकन किया जाएगा, तो मेरा विश्वास है कि जो भी कमियां होंगी, जो क्रियान्वित करते समय पाई जाएंगी, उन पर तत्काल कार्यवाही की जाएगी ताकि हमारे मजदूर और कामगार भाइयों और बहनों को किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े और किसी के द्वारा इनका शोषण न हो सके चाहे वे नियोक्ता वर्ग के हों या सरकारी विभाग के हों।

महोदय, मैंने देखा कि ठेका श्रमिकों के खाते में तो सीधे पैसा डाला जाता है, लेकिन बैंक के बाहर उस ठेकेदार का एक व्यक्ति खड़ा रहता है, जो बैंक से पैसा निकालते ही मजदूर से पैसा ले लेता है। इन प्रावधानों में ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं कि ठेकेदार इस प्रकार की कोई भी अनियमितता नहीं कर सकेंगे और समय पर पूरा पैसा कर्मकार को देना होगा। यदि किसी प्रकार की लापरवाही होती है, तो प्रिंसीपल एम्प्लायर की जिम्मेदारी होगी कि उस कर्मकार को पूरा पैसा मिले और ठेकेदार की निधियों में से वह पैसा काटा जाए। ऐसे स्थानों पर काम करने वाले हमारे जो कर्मकार हैं, उनकी सुरक्षा का भी प्रावधान किया गया है। खानों में काम करने वाले जो मजदूर हैं, जो जमीन के नीचे काम करते हैं, उनके काम करने के निर्धारित घंटों की जो पारी होती है, उससे ज्यादा उनसे काम न लिया जाए। जो विशेष अधिकारी हैं, वे किसी भी समय खान में जाकर निरीक्षण कर सकेगा और वहां के टेम्प्रेचर को भी माप सकेगा। फरीदाबाद का कांच उद्योग, मिर्जापुर का कालीन उद्योग, शिवाकाशी का पटाखा उद्योग, स्लेट और पेंसिल उद्योग, ये सारे ऐसे उद्योग हैं, जिनमें मजदूरों के संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है और इन बिलों में ऐसे सभी क्षेत्रों को चिन्हित करके मजदूरों की सुरक्षा के सारे प्रबंध किए जा रहे हैं।

महोदय, मैं अंत में इस भावना के साथ कि हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और हमारे श्रम मंत्री सम्माननीय संतोष गंगवार जी द्वारा यह जो बिल लाए गए हैं, ये बिल आने वाले समय में मजदूरों के कल्याण की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को एक लाइन समर्पित करता हुआ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा – 'ये कौन आ रहा, उजाला छा रहा, ये कौन मजदूरों के हितों में नए-नए बिलों को ला रहा।' बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री दिलेश्वर कामैत (सुपौल):** महोदय, आपने मुझे उपजीविकाजन्य सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 तथा सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' की भावना के साथ समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सरकार आज जो तीन संहिता लाई है, इनके माध्यम से श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थल की स्थितियों से संबंधित व्यवस्थाओं को कई गुणा बेहतर बनाने का काम किया गया है। मैं इन तीनों संहिताओं का समर्थन करता हूं।

महोदय, इन संहिताओं के माध्यम से 13 मत्वपूर्ण केंद्रीय श्रम कानूनों की व्यवस्थाओं को एक साथ मिलाकर सरल और युक्तिसंगत बनाया गया है। सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और कार्यस्थलों में कामकाज की बेहतर स्थितियां श्रमिकों के कल्याण के साथ ही देश के आर्थिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। देश स्वस्थ कार्यबल से ज्यादा उत्पादक होगा और कार्य स्थलों में सुरक्षा के बेहतर इंतजाम होने से दुर्घटनाओं में कमी आएगी, जो कर्मचारियों के साथ नियोक्ताओं के लिए भी फायदेमंद रहेगा।

महोदय, मैं इस संहिता के कुछ प्रावधानों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मजदूरों की सुविधा के लिए सप्ताहिक और अन्य अवकाश भी उन्हें मिलेंगे। इसमें अतिरिक्त काल के लिए अतिरिक्त मजदूरी, एक्स्ट्रा वर्क के लिए एक्स्ट्रा मजदूरी देने का प्रावधान है। कारखानों और खानों में दोहरे नियोजन का निबंधन होगा। मजदूरी सहित वार्षिक छुट्टियों का भी प्रावधान है। बचाव सेवाओं और व्यावसायिक परीक्षण की भी व्यवस्था की गई है। इस संहिता में श्रमिकों को स्थायी कर्मचारियों की तरह ही सामाजिक सुरक्षा का भी लाभ दिया जाएगा। दो सदस्यीय न्यायाधिकरण की स्थापना करने तथा आंशिक मामलों को सरकारी अधिकारियों के अधिकार में लाने से मामलों का तेजी से निपटारा किया जा सकेगा।

महोदय, इस संहिता से अद्भूत ऐसे विषयों पर राज्य सरकार को सलाह देने हेतु राज्यस्तर पर राज्य उपजीविकाजन्य सुरक्षा और स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड का गठन होगा। सुरक्षा समिति के गठन का भी इस संहिता में प्रावधान है। महिला कर्मचारियों की सुविधा का भी प्रावधान है। औद्योगिक संबंध संहिता के लागू होने से नियोजक और कामगार (एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयी) के बीच सौहार्द और अच्छे संबंध सुनिश्चित करने के उपाय बढ़ाने और ऐसे मामले, जिनमें उनका सामान्य हित है, टीका-टिप्पणी करने और ऐसे मामले के बाबत किसी भी तात्विक मतभेद का समाधान करने का प्रयास होगा। इस संहिता की सबसे बड़ी विशेषता है।

शिकायत प्रतितोष (ग्रीवांस रेड्रेसल) समिति नियोजक और कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की समान संख्या में चुने हुए सदस्यों से मिल कर बनेगी। किसी औद्योगिक संस्थान में जिसमें कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ औद्योगिक स्थापन के नियोजन के साथ ऐसे विषयों को चिह्नित किए जाएं, उनसे बातचीत करने के लिए यथा स्थिति वार्ताकारी या वार्ताकारी परिषद होगी। इससे कर्मचारियों की शिकायतें जल्दी खत्म होगी और यह इस संहिता की सबसे बड़ी विशेषता है।

संगठित या असंगठित या किसी अन्य सेक्टर में सभी कर्मचारियों और कर्मकारों की सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा से संबंधित विधियों का संशोधन और समेकन करने के लिए उससे संबंधित विषयों के लिए सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 लाया गया है, जो सभी श्रमिकों के हित में है और इनसे श्रमिक खुशहाल होंगे। ये तीनों महत्वपूर्ण संहिताएं लागू हो जाने से श्रमिक खुशहाल रहेंगे, औद्योगिक संबंध मधुर रहेंगे तथा उत्पादन में वृद्धि होगी।

इन्हीं शब्दों के साथ तीनों संहिताओं का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री दिलीप घोष (मेदिनीपुर):** माननीय सभापति महोदय, आज हम लोग जिस महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं, वह इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, 2020 है, जिस पर मैं दो-चार बातें बोलने वाला हूँ।

अंग्रेजों ने पहला श्रम कानून वर्ष 1926 में बनाया था। लगभग सौ वर्ष होने जा रहे हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, टेक्नोलॉजी, उद्योग उन्नत हुए हैं, आगे बढ़े हैं। हम भी आगे बढ़े हैं, लेकिन कानून वहीं का वहीं रह गया है। वर्ष 2002 में श्रम से संबंधित जो कमीशन था, उसने भी अपनी रिपोर्ट में आग्रह किया था कि बहुत-से श्रम कानून हैं, उनका सरलीकरण होना चाहिए, इनका संस्कार होना चाहिए। वह काम इतने वर्षों के बाद माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार और हमारे माननीय मंत्री श्री गंगवार जी हिम्मत के साथ कर रहे हैं। इसलिए उनको साधुवाद है।

देश में जो उद्योग हैं, उनको सुरक्षित रखते हुए, उद्योगपतियों के हित को सुरक्षित रखते हुए श्रमिकों के हित को सुरक्षित रखते हुए, देश के विकास को आगे बढ़ाते हुए, इस कानून को सरकार ने आज के युगानुकूल करने का प्रयास किया है। सच में यह सराहनीय है।

हम बंगाल से आते हैं। आपको भी मालूम होगा कि बंगाल की भूमि हमेशा श्रमिक आन्दोलन की रही है। पिछले 50 साल से बंगाल में तरह-तरह के आन्दोलन देखने को मिले हैं और वहाँ के नेताओं ने देश भर में ट्रेड यूनियन भी चलाए हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इसमें न श्रमिक को, न उद्योगपतियों को, न उद्योग को, न देश को, किसी को लाभ नहीं हुआ है, केवल नेताओं का लाभ हुआ है। इसलिए उसका यह परिणाम है कि जो बंगाल कभी देश के उद्योगों में 24 परसेंट अपना योगदान करता था, आज उसका आधा भी नहीं कर पाता है। उद्योगों की इतनी दयनीय हालत है। बंगाल के उत्तर में चाय उद्योग, दक्षिण में जूट उद्योग तथा नीचे यानी बॉर्डर के इलाके में कोयले की इंडस्ट्री है। इन तीनों उद्योगों में जो भी श्रमिक काम करते हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। इन तीन उद्योगों की हालत भी खराब है और उनके कर्मचारियों की हालत उससे भी ज्यादा खराब है।

इन तीनों उद्योगों की भी हालत खराब है और उनके कर्मचारियों की हालत उससे भी खराब है। चाय उद्योग के साथ जुड़े हुए लाखों कर्मचारी दयनीय स्थिति में हैं, लगभग 100 चाय बागान बंद हैं और उनकी जो जमीन है, वह खाली पड़ी हुई है। ब्रिटिश, जो कभी मध्य प्रदेश और बिहार से इन श्रमिकों को चाय उद्योग में लगाने के लिए लाए थे, उन बेचारों के पास आज एक इंच भी जमीन नहीं है। न तो जमीन है, न तनख्वाह ठीक से मिलती है, न राशन मिलता है और न मिनिमम वेजेज़ मिलती हैं।

महोदय, दुर्भाग्य की बात है कि आज की राज्य सरकार इनको ये सब चीज़ें मुहैया कराने के बजाए इनके बागान की जो जमीन है, उसको 20 परसेंट रियल-इस्टेट डेवलपमेंट, पेट्रोल पंप आदि के रूप में लोगों को कमाने के लिए दे रहे हैं, लेकिन एक इंच जमीन भी श्रमिकों के लिए नहीं है। इसलिए, केन्द्र सरकार की योजनाओं की सुविधाएं उन्हें नहीं मिलती हैं, आवास योजना की सुविधा भी उनको नहीं मिलती है। यह बड़ी दुर्भाग्यजनक बात है।

महोदय, चटकल में जो श्रमिक हैं, उनके साथ भी यही होता है। उन्हें भी मिनिमम वेजेज़ नहीं मिलती हैं और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक परिस्थितियों में वे जीते हैं। यह भयंकर परिस्थिति है। पहले एक समय था, जब पूरे देश से लोग बंगाल में काम करने के लिए आते थे। आज लोग वहां नहीं आते हैं। आज हमारे बंगाल के नौजवान माइग्रेंट लेबर्स बनकर पश्चिम भारत में काम करने के लिए जाते हैं। इनके बारे में बहुत चर्चा होती है। इस कानून में भी माइग्रेंट लेबर्स का प्रावधान है। इनके स्किल डेवलपमेंट और भविष्य को सुधारने के लिए इस बिल में व्यवस्था की गई है।

माननीय प्रधान मंत्री जी के बार-बार आग्रह करने के बाद भी कई उद्योगों ने श्रमिकों की छंटनी की है। लॉकडाउन के समय में अगर किसी का काम चला जाए तो उसे दोबारा काम मिलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए, इस बिल में प्रावधान रखा गया है कि जिसको निकाला जाएगा, उसके स्किल डेवलपमेंट के लिए कम से कम पिछले 15 दिनों की तनख्वाह उसे दी जाए। 45 दिनों के अंदर उसका स्किल डेवलपमेंट हो, सरकार का इसमें योगदान रहेगा।

महोदय, हमारे यहां एक से एक ट्रेड-यूनियन्स चलती हैं। कोई भी ट्रेड-यूनियन रजिस्ट्री कर के किसी भी पार्टी के झंडे के नीचे खड़ी हो जाती है और आंदोलन कर के, मालिक के साथ तालमेल कर के श्रमिकों का शोषण करती है। ये बोलने में ट्रेड यूनियन्स हैं, लेकिन वहां यूनियन्स नहीं हैं, केवल ट्रेड ही बचा हुआ है। जो ओरिजनल ट्रेड है, उसकी हालत भी खराब है। मालिकों के पास भी एक रास्ता रहता था, वे चाहते थे तो यूनियन वालों को बुलाकर नेता के साथ एग्रीमेंट कर लेते थे और श्रमिकों के हितों की अनदेखी करते हुए अपना धंधा चलाते थे। इसमें भी जरूर बदलाव आएगा। यह ऐसा कानून है, जिसमें सबको डिसिप्लिन में रहकर अपना उद्योग चलाना होगा, श्रमिकों को भी डिसिप्लिन में रहकर उद्योग में अपना योगदान देना होगा। इससे सार्वजनिक रूप से देश का विकास हो, इसकी व्यवस्था रहेगी।

मैंने कई बार देखा है। सुबह श्रमिक जाकर देखता था कि फैक्ट्री का गेट बंद है, उस पर ताला लटका हुआ है, लॉक-आउट हो गया है। वह बेचारा रास्ते पर आ जाता था। इसी प्रकार ठीक उल्टा भी होता था। कोई अच्छी चलने वाली कंपनी, कोई बिजनेस या फैक्ट्री के श्रमिक किसी के बहकावे में आकर हड़ताल कर देते थे। इससे अच्छी चलने वाली फैक्ट्रीज़ बंद हो जाती थीं, कच्चा माल खराब हो जाता था। इससे मालिक को नुकसान का सामना करना पड़ता था।

आज सरकार के इस कानून सुधार के कारण कम से कम 60 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। चाहे श्रमिक हो या मालिक हो, बिना नोटिस के कोई फैक्ट्री बंद नहीं कर सकता, किसी श्रमिक की छंटनी भी नहीं कर सकता और कोई काम भी नहीं बंद कर सकता। मुझे लगता है कि यह जो ऐतिहासिक कानून है, ऐतिहासिक कदम है। इसके कारण आगे चलकर हमारा उद्योग सुधरेगा, मजबूत होगा, श्रमिकों का भविष्य सुरक्षित होगा और देश की जो तेजी से तरक्की हो रही है, विकास हो रहा है, वह भी बरकरार रहेगा।

महोदय, इस बिल में छोटे-बड़े, सब उद्योगों में श्रमिकों का ख्याल रखा गया है। इससे जब चाहे श्रमिकों को निकाल देना मालिक के लिए संभव नहीं होगा। आज हमारे यहां ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स का सिस्टम चलता है। कोई कंपनी कॉन्ट्रैक्ट लेकर काम करती है, लेकिन जो श्रमिक वहां काम करते हैं, उनको मालूम नहीं होता है कि वे किस कंपनी में काम करते हैं, कौन उस कंपनी का मालिक है, वे किसके पास जाएं। मुझे लगता है कि इन सब विषयों, इन सारी चीजों पर भी अंकुश लगेगा। एग्रीमेंट



के समय एक-एक फैक्ट्री में, एक-एक पार्टी की दो-तीन यूनियन्स होती हैं। सब लोग श्रमिक हित की बात कर के, झंडा उठाकर आंदोलन करते हैं, अपनी जेब भरते हैं। इस प्रकार के कामों पर भी अंकुश लगेगा। 51 परसेंट श्रमिक जिसके पास होंगे, उसके साथ बैठकर एग्रीमेंट करेगी।

अगर एक कंपनी का एक श्रमिक यूनियन में नहीं हो तो कम से कम 20 परसेंट श्रमिक हो, इस प्रकार यूनियन के साथ बैठकर अरेंजमेंट करेगी। इसलिए, यह समय उपयोगी कानून है, सबके हित, देश के हित के लिए कानून में सुधार है। मुझे लगता है कि इसलिए सरकार ने यह पटाक्षेप उठाया है। विशेषकर, इससे श्रमिक कानून में स्वच्छता आएगी और संपूर्ण देश, श्रमिक, उद्योग और उद्योगपतियों के हित सुरक्षित रहेंगे। जैसे श्रमिकों की बिना नोटिस दिए छंटाई होती है, वैसे उनकी छंटाई भी नहीं होगी, उनकी जिम्मेदारी कंपनी के ऊपर रहेगी। श्रमिक भी मनचाहा आंदोलन कर के उद्योग को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि उसके ऊपर भी अंकुश रहेगा।

श्रमिक यूनियन में जो भ्रष्टाचार होता था, नेता श्रमिकों को भड़काकर अपने हित मजबूत करते थे, इस प्रकार की परिस्थितियों की मनमानी नहीं चलेगी। श्रमिक यूनियन में स्वच्छता आएगी, उद्योगपति भी स्वच्छता के साथ काम करेंगे और श्रमिक का हित भी सुरक्षित रहेगा। इसलिए, यह जो संशोधन आया है, इसके लिए माननीय उद्योग मंत्री, माननीय प्रधान मंत्री और एनडीए सरकार को मेरी तरफ से साधुवाद।

सभापति जी, मुझे बोलने के लिए समय देने के लिए आपका धन्यवाद।

**SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR):** Thank you, Sir. In addition to being a Member of this august House, I am also the Vice Chairman of the Amara Raja Group. We manufacture the Amaron brand of automotive and industrial batteries. We have been in the business for

30 years now. All our factories are in Chittoor district of Andhra Pradesh, where we employ more than 16,000 people, all in non-migratory jobs. Ninety percent are from the local district and eighty percent are in the first job in the history of their families. These are my credentials to be speaking on this subject.

**HON. CHAIRPERSON:** Your credentials are already very rich.

**SHRI JAYADEV GALLA:** Thank you, Sir.

Since we are combining three Bills - which are all very important - together, I request that I may be provided some extra time so that I can get all the points across to the Minister.

There is no doubt that this is a humongous exercise because it is not a child's play to bring nearly 45 enactments together and guide more than a hundred other enactments being implemented by various States. So, without any hesitation, I compliment the hon. Labour Minister, Shri Santosh Gangwar for his stupendous work on these Codes.

Sir, I start with the Social Security Code relating to the methodology of computation of PF and insurance contribution under clause 78. I suggest that these should be calculated on basic wages and not include commission or performance-based bonus, business expenses, leave encashment, etc. So, they may be removed from the definition of 'wages'. It will help employees in taking more salary home.

In Clause 2 (88), definition of 'wages' is inconsistent compared to our present definition of 'wages' under labour laws. This may lead to further liability to employers when calculated under different benefits. For example, definition of 'wages' under gratuity has been widened and has increased the gratuity liability of employers. In Clause 45, which is about unorganized workers, the Bill allows

schemes for unorganized workers to be additionally funded by the Corporate Social Responsibility Fund defined under the Companies Act, 2013. However, this does not include provision on overriding effect of more beneficial welfare schemes already passed by different States. So, this could kindly be looked into.

Under Clause 142, which is in terms of the application of Aadhaar, the Code is making Aadhaar mandatory to receive benefits. My question is, is it not a violation to the prevailing Supreme Court judgement? The Code is also silent on international workers. There is no definition on 'international workers'. The employers who engage international workers do not know how to calculate PF contributions etc. There is clarification needed on this also.

Now, I come to the Industrial Relations Code. I welcome the proposal of a pre-defined fixed term employment under Clause 2 (O). The concept of this is based on the need for industry to hire for projects or seasonal requirements like road, infrastructure projects, and international orders. Presently, what the companies are doing in this, they hire a contractor and the contractor in turn engages the workers. But the point is whatever the company pays to the contractor in the name of a worker, is not reaching the worker due to which workers lose out on the money entitled to them. They are also denied social security benefits. So, the fixed-term employment would address this problem. While we welcome fixed-term employment, we also foresee a danger of companies avoiding permanent employment. So, it is good to add a minimum and maximum tenure for fixed-term employment.

Sir, Clause 83 of the Bill deals with the re-skilling fund. It is a new provision in the Code and I welcome this. The Code says that the re-skilling fund needs to be created by the Government and the employer will pay 15 days of wages to the fund within 45 days of retrenchment. But I submit for consideration of the hon. Minister to exempt such establishments which are on the verge of lay off on closure. Otherwise, this would be an additional burden on them.

Secondly, we have a huge Ministry of Skill Development. The Ministry should also make its contribution financially and otherwise to make this rescaling a success.

### **18.00 hrs**

Clause 2(2f) says that concerted casual leave on a given day for 50 per cent or more workmen would be treated as strike. This is welcome and, in many ways, prevents unnecessary industrial unrest. We also need to be cautious that we do not infringe on the rights of the workers.

By way of clause 44(2), the Code introduces industrial tribunal consisting of two persons – one from judicial and the other from administration – instead of one person in the earlier Industrial Disputes Act, 1947. Though this is a good move, it would be prudent to make the number of members in the tribunal at an odd figure instead of an even one so as to settle the case if there was difference of opinion between the members.

With clause 62(1), the Code introduces 14-day notice to be given for strike which is good as it gives time for discussion and dialogue. This should be uniformly applied for all sectors.

Clause 2(zc) of the Code drops the termination of the service of a workman on the ground of continued ill-health from inclusion of retrenchment. Retrenchment arises out of business continuity challenges and hence, should be applied evenly to all as required, with no exceptions as the prevailing Industrial Disputes Act.

Clause 53(1) of the Code provides that the conciliation officer shall not hold any such proceedings relating to the industrial dispute after three years from the date on which the industrial dispute arose. We appeal that the time given is too long and should be

reduced to six months. As part of ease of doing business, should we not have done away with this provision under the IR Code? This is my question. Under clause 30, the Bill proposes certification as necessary even if the standing orders of an establishment are in line with the model standing orders. If the establishment is pleased to conform with the model standing orders, there should be no certification process and the model should be made applicable automatically.

Now, I come to the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code. The first point I wish to make is relating to the provisions on welfare, such as canteen, rest rooms and appointing a welfare officer. The proposed Code reduces the manpower applicability when compared to the Factories Act. They have brought it down to 100 workers against 250 as per Factories Act for the canteen workers; 50 against 150 for rest rooms; and 250 against 500 for appointing a welfare officer. I would suggest for the consideration of the hon. Minister to retain the provisions as mentioned in the existing Factories Act. Otherwise, this would impact the MSMEs the most. This will be an additional burden when they are already suffering. This will be an additional burden on the MSMEs in the condition they are today. So, he could think of exempting the MSMEs.

Clause 27 of the Code deals with extra wages for overtime, and calculation of overtime is mandated on a daily basis or weekly basis. My second point is about the written consent for overtime. It is very difficult to calculate overtime on a daily or weekly basis. There is a wastage of valuable time. So, I suggest that this could be made monthly and also paid out monthly. I would also submit that getting the written consent every time is also very difficult. The consent of the worker can be taken at the time of appointment itself. If he does not want to work overtime, he need not give his consent. Further, the workers can also be provided the right to exercise inability in any given time during the employment for genuine reasons.

Clause 87, which talks about penalties, prosecution of employers should be removed from the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code. Penal fines should be a sufficient deterrent. Prosecution, however, can be considered in the worst cases where there has been a fatal accident or if the employee is adversely hurt due to negligence of the employer.

Sir, these are some of the submissions that I wish to make for the consideration of the hon. Minister. I expect him to please act on them positively.

With these observations, I support the Codes. Thank you.

**श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी) :** सभापति महोदय, आपने मुझे उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 पर अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं अपनी पार्टी के लोगों के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया है।

सभापति महोदय, मैं सबसे पहले तो यह बताना चाहूंगा कि जब बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर जी वर्ष 1942 से 1946 के बीच श्रम मंत्री के रूप में कार्यरत थे, तो उन्होंने सबसे पहले इस देश में श्रम कानून लाने का काम किया था। उस कानून के अंतर्गत जो कि अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा था कि 12 घंटे का काम होगा, उसको घटाकर 8 घंटे करना, रोजगार कार्यालय की स्थापना करना, कर्मचारी राज्य बीमा की स्थापना करना, कर्मचारी संगठन को मान्यता देना, भारतीय फैक्टरी अधिनियम, महंगाई भत्ता, अवकाश वेतन, स्वास्थ्य बीमा, कानूनन हड़ताल का अधिकार, भविष्य निधि, श्रमिक कल्याण कोष, तकनीकी प्रशिक्षण योजना, महिलाओं को प्रसूति अवकाश, भारतीय सांख्यिकी कानून और इसके साथ-साथ मातृत्व लाभ अधिनियम, महिला श्रम कल्याण कोष, महिला और बाल श्रम सुरक्षा अधिनियम, महिला श्रम के लिए मातृत्व लाभ और कोयला खानों में भूमिगत कामों में महिलाओं के रोजगार पर प्रतिबंध के साथ ही साथ समान कार्य के लिए समान वेतन की सिफारिश और कानून बनाने का काम अगर इस देश में सर्वप्रथम किसी ने किया था, तो वह बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में किया गया था।

सभापति महोदय, देश आज़ाद हुआ, देश की आवश्यकता के अनुसार एवं रोजगार और औद्योगिक आवश्यकता के अनुसार नए-नए कानून बनते गए हैं। एक नहीं, इस देश में ऐसे 44 केन्द्रीय कानून बने हैं। कानूनों की संख्या तो खूब बढ़ी, लेकिन इन कानूनों ने न तो उद्योगों का विकास किया है और न ही श्रमिकों का विकास किया है। बल्कि औद्योगिक घरानों में व्यापार करने वाले लोगों और नियोक्तओं में भय पैदा किया है। इतने कानूनों के मकड़जाल में हमारा श्रमिक, केवल श्रमिक अदालतों के चक्कर लगाने के लिए मजबूर हुआ है। मैं देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर जी के बाद अगर इस देश के श्रमिकों के लिए समग्रता से और लंबे समय के बाद किसी ने विचार है, किसी ने कानून बनाने का काम किया है, तो वह देश के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी जी ने किया है। मैं उनको बधाई देता हूँ। मैं केन्द्रीय श्रम मंत्री आदरणीय संतोष कुमार गंगवार जी को भी बधाई देता हूँ कि उनके नेतृत्व में एक समग्र कानून आया है। इस समग्र कानून का जो आधार है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, क्योंकि विश्वास के अभाव में जब नियोक्ता और कर्मचारी में अविश्वास पैदा होता है, तो न तो उसमें नियोक्ता का भला होता है और न ही कर्मचारी का भला होता है। जब दोनों का नुकसान हुआ, तो उसी का यह परिणाम है कि आज हमारा कर्मचारी अदालतों के चक्कर लगा रहा है और हमारे यहां पर उत्पादन की यूनिटें लगने के बजाय विदेशों में चली गई हैं।

सभापति महोदय, ऐसे कानून की मांग और आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। वर्ष 2002 में राष्ट्रीय श्रम आयोग के कार्यक्रम में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया था कि हमको एक सामूहिक आचार संहिता बनानी चाहिए, जिसमें नियोक्ता का भी भला हो और कर्मचारियों का भी भला हो। माननीय मंत्री जी ने लंबी चर्चा के बाद, चाहे औद्योगिक घराने हों, चाहे ट्रेड यूनियनें हों, चाहे श्रमिक हों, सभी से चर्चा करने के बाद एक संपूर्ण कानून बनाने का काम और प्रयास किया है। निश्चित रूप से इससे आने वाले समय में जहां एक तरफ औद्योगिक विकास भी होगा, जो कर्मचारी/सरकारी कर्मचारी हैं और इस देश में 50 करोड़ से ज्यादा श्रमिक हैं, उनके कल्याण के लिए भी अनेक योजनाओं के रास्ते खुलेंगे।

महोदय, 44 कानूनों में से 15 कानूनों को समाप्त कर 29 कानूनों को चार कोड में डिवाइड कर, चार संहिता बनाने का काम इस कानून के माध्यम से किया जा रहा है। हम पहले भी मिनिमम वेजिस का बिल पास कर चुके हैं। जिसका परिणाम है कि आज इस देश में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित है और देश में यह लागू है और बाकी तीन बिल माननीय मंत्री जी द्वारा लाए गए हैं। चाहे औद्योगिक संबंध संहिता बिल हो, चाहे सामाजिक सुरक्षा हो। इन सभी का उद्देश्य इस देश के औद्योगिक विकास और श्रमिकों के बीच विश्वास पैदा करना है। सबका साथ ले कर, सबका विकास कर के, सबके विश्वास से काम को करना है।

सभापति महोदय, 23 जुलाई, 2019 को लोक सभा में इस बिल को लाया गया था और वहां पर विपक्ष की मांग पर और श्रमिक के हित को देखते हुए इसको श्रमिक विभाग की संसदीय समिति को सौंप दिया गया। उनके द्वारा 233 सुझाव दिए गए थे, उनमें से 174 सुझावों को स्वीकार कर इस कानून में समाहित करने का काम भी यह कानून करेगा। इस कानून की सबसे बड़ी खास बात है कि पहले श्रमिक अपने को यह साबित ही नहीं कर पाता था कि मैं किस नियोक्ता के यहां काम करता था, अब यह कानून इस बात के लिए श्रमिक को गारंटी देता है कि किसी भी नियोक्ता को, उसको नियुक्ति पत्र जारी करना पड़ेगा। उस नियुक्ति पत्र को पाने के बाद, वह सभी प्रकार के जो सामाजिक लाभ हैं, जो कानूनी लाभ हैं, उनको वह पा सकेगा।

सभापति महोदय, इसी सदन में प्रवासी श्रमिकों को ले कर बहुत ... \* बहाए गए। प्रवासी श्रमिकों की परिभाषा के अभाव में यह कानून प्रवासी श्रमिकों की परिभाषा को परिवर्तित रहा है। अगर यह कानून पहले बन गया होता, प्रवासी श्रमिकों की परिभाषा को ठीक कर दिया गया होता, जो इस कानून में लागू है, अगर यह पहले लागू हुआ होता तो कोरोना महामारी जैसे संकट के समय हमारे श्रमिक सड़कों पर दिखाई नहीं पड़ते और नियोक्ता अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता था। लोग ... \* बहाने का काम तो कर रहे हैं, लेकिन नियोक्ता के ऊपर किसी प्रकार का कानूनी बंधन नहीं था कि हम श्रमिकों को उसके लिए काम करा सकें।

माननीय सभापति महोदय, यह कानून इस बात का भी अधिकार केन्द्र को देता है, प्रदेश को देता है कि श्रमिकों के हित में, उद्योग के हित में, व्यापार के हित में एक आयोग का गठन करेंगे। जो आयोग समय-समय पर केन्द्र सरकार को, श्रमिकों के हित के लिए और उद्योग के हित के लिए सलाह देंगे। साथ ही साथ यह कानून राज्य सरकार को सलाह देने के लिए, राज्य आजीविका सुरक्षा और स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड का गठन करता है। ... (व्यवधान)

**माननीय सभापति:** प्लीज़ अब समाप्त कीजिए।

... (व्यवधान)

**श्री विनोद कुमार सोनकर:** सभापति महोदय, इस कानून के माध्यम से प्रदेश में भी श्रमिकों के हित में, उद्योगों के हित में, हम सलाह देने के लिए राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन करेंगे, जिसके माध्यम से समय-समय पर उनके हित की रक्षा हो सके।



सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश में बहुत बड़ी मात्रा में असंगठित मज़दूर हैं, जिनके हितों की रक्षा की चिंता इससे पहले कभी नहीं हुई। यह कानून लागू हो जाने के बाद हम देश में बड़े पैमाने पर असंगठित मज़दूरों की सामाजिक योजनाओं और उनके हितों की रक्षा के लिए भी काम कर पाएंगे।

सभापति महोदय, जहां तक श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम है, उसकी परिभाषा में भी संशोधन करने का प्रस्ताव है। इसके संशोधन के बाद, जो इलैक्ट्रॉनिक्स मीडिया में ई-पेपर है या समय अनुकूल जो चल सकता है, उन श्रमिकों के हक और हकूक की रक्षा कर पाएंगे।

सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस कानून में कि जहां हम एक नए भारत का निर्माण करने जा रहे हैं, उस नए भारत में सपना देखने का अधिकार भी यह कानून श्रमिकों को देता है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूँ। वर्ष 1992 में जब से इस देश में उदारीकरण का दौर शुरू हुआ है, तब से इस दौर में आउटसोर्सिंग के नाम पर बहुत सारी कम्पनियाँ ने जन्म लिया है। कम्पनियाँ आउटसोर्सिंग के माध्यम से देश के युवाओं का शोषण कर रही हैं। साथ ही साथ संविदा कर्मों, जिनका बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है, काम एक है, अलग-अलग प्रदेश में और प्रदेश में भी अलग-अलग मंत्रालय में, अलग-अलग आउटसोर्सिंग कम्पनियों से जो...(व्यवधान)

**माननीय सभापति:** आप समाप्त कीजिए।

**श्री विनोद कुमार सोनकर:** सभापति महोदय, यह बहुत जरूरी विषय है। सबसे जुड़ा हुआ विषय है। देश के युवाओं से जुड़ा हुआ विषय है। आउटसोर्सिंग की वजह से लगातार युवाओं का शोषण हो रहा है, संविदा की वजह से शोषण हो रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से माँग करता हूँ और निवेदन करता हूँ।...(व्यवधान)

**माननीय सभापति:** श्री पी. रविन्द्रनाथ कुमार।

**श्री विनोद कुमार सोनकर:** सभापति महोदय, मैं केवल एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ।

**माननीय सभापति:** आप बैठ कर बात कीजिए।

**श्री विनोद कुमार सोनकर:** मैं आपके माध्यम से मांग कर रहा हूँ कि संविदा कर्मी और आउटसोर्सिंग को लेकर भी देश में एक राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए, जिससे देश के युवाओं का शोषण बंद हो। साथ ही साथ मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि यह बहुत गम्भीर विषय है। आज प्रत्येक प्रदेश में अपना-अपना कानून बना कर आउटसोर्सिंग और संविदा के नाम पर लोगों का...(व्यवधान)

**माननीय सभापति:** ठीक है। आपकी बात आ गई है।

श्री पी. रविन्द्रनाथ कुमार, आप प्रारम्भ कीजिए।

**SHRI P. RAVEENDRANATH KUMAR (THENI):** Thank you, Chairman, Sir, for giving me an opportunity to speak on three revolutionary Bills being considered today in this august House.

**HON. CHAIRPERSON:** Kindly conclude in 3-4 minutes. So, please be brief.

... (*Interruptions*)

**SHRI P. RAVEENDRANATH KUMAR:** Firstly, I must compliment the steps taken to safeguard security of women at their workplace both in physical terms as well as with regard to the financial and self-developmental aspects. Through this Bill, making issuance of appointment letters mandatory by the employer can considerably aid in formalization of their employment.

As we can see for ourselves that through these reforming enactments our hon. Prime Minister is building a strong backbone for our country's economy with labourers and workers being brought into the forefront of nation-building with a much confident and stable workforce. Considering the current economic turbulence, this Bill will exponentially help in the growth of our GDP.

Through you, I would like to clarify a few general apprehensions about certain Clauses. Clause 55 (4) states that appropriate Government has the power to reject or modify the award given under this Code. It is my understanding that the Standing Committee on Labour had suggested that such power vested with the appropriate Government is against the principles of Separation of Power.

Secondly, as regards Clause 92 (1), which states that : “Appropriate Government has the power to withdraw and transfer any pending proceedings under this Code to another Tribunal”. I feel that it is against the very purpose of the Bill. For example, the proceedings, when transferred from one State to another could hamper justice since the same may get affected due to regional politics.

I would also like to give a few suggestions regarding this Bill. Firstly, with almost 75 per cent of the labour workforce employed in the construction industry being migrant labourers, it is required that the contractors have to register the workers under the ISM Act. My suggestion to the Government would be that the Government should make it mandatory, and routine audits and inspections should be conducted by the agencies concerned to enforce the same.

Secondly, the contractors also should be given various enterprising incentives and support modules by the Government motivating the contractors to adhere and ensure mandatory registration for all labourers. ...(*Interruptions*)

Sir, I am the only speaker from my State. Thirdly, in the wake of COVID-19 pandemic, the migrant labourers who predominantly earn their livelihood through daily wages need to be inspired both financially and emotionally. There should be a scheme to support the migrant labourers by providing supply of dry ration from the Construction Welfare Fund. Similarly, medical check-up and assistance during the pandemic can also be supported from the Construction Welfare Fund.

More than 50,000 families in my State are dependent on the Cine Industry for their livelihood. Now, the cine workers may get compensation in case they are met with an accident on the shooting spot. At this juncture, I would like to bring to the notice of the hon. Minister that necessary notification shall be placed to widen the definition of contract labours in Clause 2 (1) (m) of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 by specifically mentioning cinema and entertainment industry.

Finally, I would like to conclude with the quote of our Father of the Nation, Mahatma Gandhi *ji*: “Obedience to the law of bread labour will bring about a silent revolution in the structure of society”.

Through this Bill, our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi *ji* is creating a revolution, strengthening and restructuring our Indian society for the creation of a new India.

With these words, I conclude my speech.

**श्री राजू बिष्ट (दार्जिलिंग):** महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

महोदय, सबसे पहले मैं आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और हमारे माननीय मंत्री श्री संतोष गंगवार जी को बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि यह जो बिल है, यह खासकर हमारे दार्जिलिंग तराई डूवर्स के करीब 400 बड़े चाय बागान और 800 से एक हजार छोटे, जो स्मॉल ग्रोअर्स हैं, उनके लिए बहुत बड़ी और खुशी की बात है

|

यह विधेयक माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा दिए गए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के विजन को दर्शाता है। भारत की आजादी के 72 वर्षों के बाद भी आज तक इस तरह के रिफॉर्म्स हमारे सामने नहीं आए थे। आज करीब 50 करोड़ संगठित और असंगठित श्रमिकों को वेतन की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा देने का काम हो रहा है, जबकि पहले लगभग सिर्फ 10 करोड़ श्रमिकों की ही बात होती थी। अब ये चार लेबर कोड के माध्यम से करीब 29 श्रम कानून इसमें समाहित हो रहे हैं। वेज कोड पिछले साल ही पास हो चुका है, आई.आर. कोड, ओएसएच कोड और सोशल सिक्योरिटी कोड है। यह बिल वर्ष 2019 में ही हमारे सामने आ गया था, लेकिन इसे संसदीय समिति को भेज दिया गया था। स्थायी समिति ने सभी स्टेकहोल्डर्स – श्रमिकों और श्रमिकों के जो संगठन हैं, इंडस्ट्री के जो लीडर हैं, उनके जो एक्सपर्ट हैं, उन सबसे इनपुट भी लिए हैं। समिति द्वारा विभिन्न स्टेकहोल्डर्स द्वारा दिए गए करीब 174 सुझावों को भी अपना लिया गया है।

सर, अब मैं इस बिल के कुछ मेरिट बहुत ही सरल भाषा में सदन के सामने रखना चाहूँगा। यह बिल पास होने के बाद सभी मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी यानी मिनिमम वेज की गारंटी देता है। मैं आपको उदाहरण के लिए बताना चाहूँगा, मैं चाय बागान क्षेत्र से आता हूँ, वर्ष 1951 प्लांटेशन लेबर एक्ट के कारण आज तक पश्चिम बंगाल में लोगों को मिनिमम वेज नहीं मिल रही है। आज पूरे पश्चिम बंगाल में करीब 350 रुपये मिनिमम वेज है, लेकिन चाय बागान के मजदूरों को मात्र 176 रुपये प्रतिदिन मिलते हैं। अब इस कानून के पास होने के बाद पीएलए एक्ट, 1951 अस्तित्व में नहीं रहेगा और श्रमिकों को पूरा वेतन, मिनिमम वेज मिलेगा। यह बिल सभी मजदूरों को समान वेतन की गारंटी देता है। यह महिला एवं पुरुष मजदूरों को समान वेतन देता है। हर मजदूर को अपॉइंटमेंट लैटर भी दिया जाएगा। हर मजदूर का साल में एक बार हेल्थ चेकअप भी कराया जाएगा। मिनिमम वेज की जो अलग-अलग समस्याएं थीं, मिनिमम वेज में समानता नहीं थी, यूनिफोर्मिटी नहीं थी, उसको दूर करने के लिए एक यूनिफार्म फ्लोर वेज का प्रावधान भी किया गया है। जो हमारे प्रवासी भाई-बहन मजदूर हैं, उनको हर साल एक बार घर जाने का किराया भी मिलेगा और जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं, वे जहाँ भी काम करेंगे, उनको वहीं पर राशन मिलने की व्यवस्था भी इस बिल के माध्यम से हो रही है।

असंगठित क्षेत्र के लिए सामाजिक सुरक्षा निधि का प्रावधान है। महिलाओं को रात्रि में काम करने की व्यवस्था भी इस बिल के माध्यम से की गई है। यह बिल महिलाओं को सभी क्षेत्रों में काम करने की इजाजत दे रहा है। जब महिलाएं रात्रि में काम करेंगी तो उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करना भी अनिवार्य होगा। संगठित और असंगठित क्षेत्र के सभी मजदूरों को पेंशन (ईपीएफओ) योजना का लाभ मिलेगा। मजदूरों को ट्रिब्यूनल में जल्द से जल्द न्याय मिलने की सुविधा भी है और ट्रिब्यूनल को

एक साल के अंदर मजदूर के केस का फैसला करना होगा। इसके माध्यम से लिटिगेशन बहुत कम होगा और लिटिगेशन जल्द से जल्द खत्म भी होगा। छोटी सी कान्ट्रिब्यूशन से भी ईएसआईसी अस्पताल में इलाज की सुविधा होगी। ईएसआईसी सभी क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों के लिए खुलेगा। इस बिल के माध्यम से ईएसआईसी अस्पताल, दवाखाना एवं शाखाओं का जिला स्तर तक विस्तार होगा। यह बहुत बड़ी बात है।

सर, मुझे दो-तीन मिनट का समय और दीजिए, बस मैं अपने क्षेत्र पर आ रहा हूँ।

10 से कम मजदूर जिस संस्था में हैं, स्वेच्छा से ईएसआईसी के साथ जुड़ने का मौका भी उन्हें मिल रहा है। सर, जैसा मैंने आपको बताया, पश्चिम बंगाल राज्य में अभी तक चाय बागान में मिनिमम वेज लागू नहीं था, जो इस बिल के माध्यम से हो रहा है। इस बिल के पास होने के बाद चाय बागान और सिनकौना बागान में काम करने वाले श्रमिकों को उनका पूरा अधिकार मिलेगा।

प्लांटेशन लेबर एक्ट, जो अभी तक केवल कागजों तक ही सीमित था, इस बिल के पास होने के बाद उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इससे चाय बागान और सिनकौना बागान में काम करने वाले मजदूरों को सबसे ज्यादा फायदा होगा।

महोदय, इस बिल के पास होने के बाद कोई भी मालिक काइन्ड में 15 प्रतिशत से ज्यादा सुविधा नहीं दे पाएगा। उन्हें 85 प्रतिशत पैसे कैश में श्रमिकों के हाथ में देना होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे आज पश्चिम बंगाल में न्यूनतम मजदूरी 350 रुपये है, जब उन्हें उसका 85 प्रतिशत देना होगा तो इसका मतलब यह हुआ कि करीब 300 रुपये न्यूनतम मजदूरी सभी श्रमिकों को कैश में मिलेगी।

**माननीय सभापति:** अब आप अपना भाषण समाप्त करें।

**श्री राजू बिष्ट :** सर, मुझे बस दो मिनट का समय और दे दीजिए।

**माननीय सभापति:** नहीं, दो मिनट में नहीं, आप इसे जल्दी समाप्त करें। एक मिनट में अपनी बात पूरी कीजिए।

**श्री राजू बिष्ट:** सर, बस सवा मिनट और लगेगा ।

सर, मैं अपने क्षेत्र की एक बात कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ श्रमिकों को आज तक भूमि पर अधिकार नहीं दिया गया है, क्योंकि भूमि, राज्य का विषय है । अंग्रेजों ने जो कानून बनाया था, वह कानून आज भी पश्चिम बंगाल में लागू है । अभी वर्ष 2019 में ही पश्चिम बंगाल सरकार ने 15 प्रतिशत चाय बागानों की जमीन को उसके मालिकों को पर्यटन के लिए दे दी । मैं उसका स्वागत करता हूँ, लेकिन उस जमीन पर उसके मालिकों से ज्यादा अधिकार हमारे श्रमिकों का है । मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करता हूँ कि जिस तरह से एफ.आर.ए. एक्ट, 2006, जो इसी पार्लियामेंट से पास हुआ और जिसके माध्यम से हमारे वन-बस्ती में रहने वाले लोगों को जमीन का अधिकार दिया गया, उसी तरह से कानून पास करके हमारे जो श्रमिक चाय बागान और सिनकौना बागानों में काम करते हैं, उन्हें प्रजा पट्टा दिया जाए ।

महोदय, अन्त में, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि हमारे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हमेशा कहती थीं कि 'पहाड़ हासचे', लेकिन उन्होंने पहाड़ को श्मशान घाट बनाकर रखा हुआ है । इस बिल के पास होने के बाद अपने लोगों से इतना जरूर कहना चाहूँगा कि इस बिल के पास होने के बाद पहाड़ जरूर मुस्कुराएगा । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

**श्रीमती नवनित रवि राणा (अमरावती):** सभापति महोदय, हमारे माननीय मंत्री महोदय को यह पता है कि ई.पी.एस., 1995, जो पेन्शनर्स से संबंधित है, इसके बारे में बहुत से पेन्शनधारक कोर्ट में लड़ाई कर रहे हैं, वे आपसे मिल कर आपसे भी लड़ाई कर रहे हैं, और उन्होंने बहुत से आंदोलन भी किए हैं । वे मजदूर बहुत सारे विभागों में काम कर चुके हैं, चाहे पी.एस.यूज. हो, चाहे प्राइवेट कम्पनीज हों । इसमें मंडियों में काम करने वाले कामगार भी हैं, स्टेट ट्रांसपोर्टेशन में काम करने वाले कामगार हैं । ऐसे बहुत सारे कामगार हैं, जो अपनी पेन्शन के लिए श्रम मंत्रालय से बहुत सालों से बातचीत कर रहे हैं, वे अपने मुद्दे रख रहे हैं, अपनी समस्याएं रख रहे हैं । उनमें से कोई 60 वर्ष का हो गया है, कोई 65 वर्ष का हो गया है और कई हजार लोग तो ऐसे हैं, जिनका निधन भी हो गया है । ऐसे बहुत-से लोगों ने अपनी-अपनी समस्याएं माननीय मंत्री जी के समक्ष रखी हुई हैं । वे सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं । आज श्रम मंत्रालय के द्वारा कामगारों के लिए बहुत अच्छा बिल लाया गया है । इस बिल का हम सपोर्ट

करते हैं और हमें इसे सपोर्ट करना भी चाहिए क्योंकि आज देश में जो बड़ी-बड़ी कम्पनियां हैं, जो बड़े-बड़े उद्योग हैं, वे मजदूरों के कारण ही मजबूत हो सके हैं। इसलिए ऐसा बिल लाना बहुत जरूरी है। इस बिल के माध्यम से इनके लिए सुविधाएं लाई जा रही हैं, चाहे वह मेडिकल की सुविधा हो, चाहे सुरक्षा की बात हो। इनके जो भी केसेज कोर्ट में चलते हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चलते हैं, उसके लिए यह बिल लाना बहुत जरूरी है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इसके लिए विनती करूंगी कि जिन पेन्शनर्स को महीने में 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक की पेन्शन मिलती है, मुझे आप बताइए कि 100 रुपये, 200 रुपये, 350 रुपये या 500 रुपये में उन दोनों बुजुर्गों का क्या गुजारा हो सकता है? यह स्थिति तब है जबकि सरकार के पास ई.पी.एस., 1995 फण्ड में इनके ही दिए हुए 5 लाख करोड़ रुपये आज तक जमा हैं। इसके बावजूद ये पेन्शनर्स बस मिनिमम पेन्शन मांग रहे हैं, जो हम इन्हें नहीं दे पा रहे हैं। बहुत सारी मीटिंग्स हो गई हैं। कई कोर्ट्स में उनके पक्ष में निर्णय हुए हैं, एकाध जगहों पर उनके विरुद्ध निर्णय हुए हैं, तो मैं माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगी कि ऐसे गरीब मजदूर, जो सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं, वे सिर्फ सात से आठ हजार रुपये प्रति महीने पेन्शन की मांग कर रहे हैं, जबकि आपके पास उनके 5 लाख करोड़ रुपये जमा हैं, उसमें से वे आपसे अपना अधिकार मांग रहे हैं। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि उन्हें उनके अधिकार दिए जाएं और उनके जीवन के जो कुछ साल बाकी हैं, ऐसे सीनियर सिटीजेन्स के लिए कुछ दया हमारी तरफ से होनी चाहिए, मैं आपसे यह विनती करूंगी।

सभापति महोदय, मेरे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। भारतीय एकजुट कामगार संगठन के जिन कामगारों ने जी.बी. कंपनी में काम किया, उन कर्मचारियों की बहुत सारी रकम इस कंपनी में बकाया है। ये ऐसे कामगार हैं, जिनके पास अपने बच्चों के स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे नहीं हैं। उनके जीवनयापन के लिए भी पैसे नहीं हैं। ऐसे कामगारों के लिए मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से विनती करूंगी। जितने भी लेबर्स हमारे देश में रहते हैं, उनको भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जोड़ना चाहिए और हर लेबर को घर प्रोवाइड करना चाहिए। मेरी इतनी ही आपसे विनती है। कंपनी में काम करने वाले कामगारों की जब ओनर्स से लड़ाई होती है, यूनियन कोई डिमांड करती है, लेबर्स कुछ डिमांड करते हैं और जब वे कोर्ट में जाते हैं तो वह कंपनी लेबर्स को सैलरी देना बंद कर देती है।

महोदय, मैं आपसे एक और विनती करूंगी कि इस एक्ट में लेबर्स की सैलरी के बारे में भी कुछ प्रावधान करना चाहिए। अगर किसी भी कंपनी का कोई मजदूर कोर्ट में जाता है तो उस मजदूर की पगार बंद नहीं करनी चाहिए। इसके बारे में हमें जरूर विचार करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में उनके ऊपर बहुत सारी चीजें निर्भर हैं। जब कोई लेबर किसी कंपनी में 15 से 20 साल काम करता है तो वह अपना पूरा भविष्य, जवानी, मेहनत और खून उस कंपनी को बड़ा करने में लगा देता है।



मेरी आपसे विनती रहेगी कि जो वहाँ मजदूरी कर रहा है, उनके बच्चों का भविष्य उसी पगार पर निर्भर है। ऐसे गरीब मजदूरों के बच्चों के लिए कंपनियों के माध्यम से स्कॉलरशिप दी जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेबर का बच्चा सिर्फ लेबर ही बने, मजदूर का बच्चा सिर्फ मजदूर ही बने, बल्कि उसको एक डॉक्टर भी बनना चाहिए।

**माननीय सभापति:** अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

**श्रीमती नवनित रवि राणा:** सर, मुझे सिर्फ एक मिनट का समय दे दीजिए। हमें उन मजदूरों के बच्चों के भविष्य के बारे में भी कुछ बात करनी चाहिए।

सर, जब सब-कॉन्ट्रैक्ट होता है, मेरे ख्याल से शायद यह इस बिल में ऐड न हुआ हो। परंतु मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जब सब-कॉन्ट्रैक्टर मजदूरों को अपनी तरफ से कंपनियों में लगाता है या किसी भी गवर्नमेंट कंपनी में काम पर लगाता है, यदि ऑन रिकॉर्ड मजदूरी 500 या 350 रुपये प्रतिदिन है तो वह मजदूर से पहले ही लिखवा कर ले लेता है कि मैं आपको इतनी ही मजदूरी दूँगा। वह मजदूर से कहता है कि ऑन पेपर जो सैलरी लिखी हुई है, वही मैं आपको दे रहा हूँ। ऐसे सब-कॉन्ट्रैक्टर्स के जितने भी केस लोकल लेवल पर चलते हैं, कामगार कमिश्नर के यहाँ चलते हैं, उसमें चार-पाँच साल का समय लग जाता है। उसके लिए हमें कुछ प्रावधान लाना चाहिए। उसकी एक टाइम लिमिट भी होनी चाहिए।

सर, मैं आदिवासी क्षेत्र की एक बात कहना चाहती हूँ। यह विषय हमारे आदिवासी क्षेत्र से बिलाँग करता है। आज हम प्लांटिंग और गार्डनिंग के लिए भी बिल लाए हैं। हमारे आदिवासी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, वहाँ पूरी तरह से फॉरेस्ट एरिया है। वहाँ पर आदिवासी फॉरेस्ट के अण्डर में काम करते हैं। उनकी सिक्योरिटी, मेडिकल और अन्य फैसिलिटी के लिए आप जो बिल लाये हैं, उसका हम सपोर्ट करते हैं।

**श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर):** सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे आज के विषय पर अपनी बात रखने का मौका दिया।

महोदय, आज श्रम और रोजगार मंत्री जी लोक सभा के अंदर तीन बिल्स लेकर आए हैं। ये तीनों ही मजदूरों से संबंधित बिल्स हैं। इन बिलों के माध्यम से हम मजदूरों के अधिकारों का और अच्छी तरह से रक्षा कर सकते हैं। इसके लिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद दूँगा।

महोदय, मजदूरों के लिए सरकार जो बिल लेकर आई है, मेरी आर.एल.पी. पार्टी उसका समर्थन करती है। मुझे अच्छी तरह याद है कि न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का बिल भी पिछले सत्र में यह सरकार लेकर आई थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 'जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान' का जो नारा दिया, उसमें 'जय मजदूर' का भी नारा शामिल करना चाहिए। हमारे जवान, किसान, मजदूर ये सभी लोग मिलकर इस देश को प्रगति पर लेकर जाएंगे।

सभापति महोदय, ये तीन बिल्स हैं। इनके अंदर एक औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक, 2020 भी है। अब 300 से कम कर्मचारी वाली कंपनी सरकार से मंजूरी लिए बिना कार्मिकों की छंटनी नहीं कर सकेगी। इसके लिए हर जगह आंदोलन चलते रहते हैं। कंपनियों में मजदूरों की आए दिन की समस्याएँ होती रहती हैं। मजदूर हड़ताल पर भी चले जाते हैं। उनकी मजदूरी घटा दी जाती है। किसी न किसी बहाने से उनकी छंटनी कर दी जाती है। इस बिल के माध्यम से यह होगा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति इस देश के अंदर नहीं होगी। यह बिल इस मामले के अंदर महत्वपूर्ण है।

सभापति महोदय, मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि कंपनियां बिना किसी ठोस कारण के अचानक किसी कर्मचारी की छंटनी कर दे, उसकी सुनिश्चितता कैसे होगी? जब आप जवाब दें, तो जरूर उसके अंदर इसे बताएं।

तीसरा, सामाजिक सुरक्षा संहिता बिल, 2020, यह संहिता सामाजिक सुरक्षा से जुड़े 9 कानूनों, जैसे कर्मचारी भविष्य निधि एक्ट, 1952, मातृत्व लाभ एक्ट, 1961 और असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा एक्ट, 2008 का स्थान लेती है। सामाजिक सुरक्षा उन उपायों में कहा जाता है, जो कि श्रमिकों को स्वास्थ्य सेवा संबंधी सुविधा और आय सुरक्षा के प्रावधान को सुनिश्चित करते हैं।

महोदय, एक मजदूर देश के निर्माण में बहुमूल्य भूमिका अदा करता है। मजदूर ही वह ताकत है, जो किसी भी उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी, पूरी जवानी दांव पर लगाकर देश को आगे बढ़ाने का, उस काम को आगे बढ़ाने और उद्योग को आगे बढ़ाने का काम करता है। किसी भी समाज, देश, संस्था और उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों की हमेशा अहम भूमिका रही है। मजदूरों के बिना किसी भी औद्योगिक ढांचे के खड़े होने की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए श्रमिकों का समाज में अपना एक अलग ही स्थान है।

महोदय, इन विधेयकों में कई कानूनों को बदला जा रहा है। जो फालतू के कानून थे, जब एनडीए की सरकार बनी, तब यह कहा गया था कि जितने भी फालतू के कानून पिछले 50 सालों के अंदर कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी, उन फालतू के कानूनों को हम कम करेंगे। कई कानूनों को आपने कम भी किया है। ... (व्यवधान)

सभापति महोदय, इन विधेयकों में कई कानूनों को बदला जा रहा है। आज इस माहौल में हमें आरोप-प्रत्यारोप से ऊपर उठकर देश के मजदूरों की स्थिति के बारे में गंभीर चिंतन करने की आवश्यकता है।

मंत्री महोदय, हमारे राजस्थान सहित देश के भारी उद्योगों में काम कर रहे मजदूरों की पीड़ा की तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आज न्यूनतम वेतन को लेकर प्रावधान होने के बावजूद कई जगहों से शिकायतें आती हैं कि संबंधित कंपनियां मजदूरों को पूरा वेतन देने में आनाकानी करती हैं। देश में जहां भी केंद्रीय श्रम विभाग के कार्यालय हैं, उनको निर्देशित किया जाए कि उनके क्षेत्राधिकार में जो भी उद्योग हैं उनमें मजदूरों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु अभियान चलाए जाएं।

एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्र के लगभग 45 करोड़ श्रमबल में से करीब 30 प्रतिशत श्रमिक प्रवासी मजदूर हैं, जो गांवों, छोटे शहरों एवं पिछड़े इलाकों से रोजगार की तलाश में बड़े शहरों, औद्योगिक, कृषि एवं व्यावसायिक रूप से विकसित क्षेत्रों में जाते हैं।

महोदय, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार असंगठित क्षेत्र देश के 85 प्रतिशत मजदूरों को रोजगार देता है। वर्ष 2018-19 के आर्थिक सर्वे के अनुसार 93 प्रतिशत श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र में हैं। देश की सकल आय में इस क्षेत्र का योगदान 49 प्रतिशत के करीब है।

मंत्री जी, हमारे राजस्थान में बाड़मेर का मैं उदाहरण देना चाहूंगा, जहां तेल, गैस और कोयला निकला। वहां कार्य कर रही कंपनियां उस गांव के लोगों को भी रोजगार नहीं देती है, आनाकानी करती है। मंत्री जी, आप इसको नोट करें। जिस गांव की जमीन से तेल निकलता है, वह राज्य व देश को बड़ी राशि में रॉयल्टी देता है। रॉयल्टी प्राप्त होने के बाद भी केंद्र से संबंधित विभाग शिकायतों के बावजूद इसकी मॉनीटरिंग नहीं करते हैं। मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बाड़मेर के अंदर इस मामले को दिखवायें।

मेरा सदन से अनुरोध है कि 80 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार कैसे मिले इस नीति पर सदन को विचार करना चाहिए, ताकि बेरोजगारी के कारण उस क्षेत्र के लोगों का पलायन रुक सके।

**श्री सी.पी. जोशी (चित्तौड़गढ़):** सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत आभार कि आपने देश के असंख्य कामगारों, मजदूरों और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के हितों के लिए एक महत्वपूर्ण बिल पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी और श्रम मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि इस देश में इतना बड़ा रिफॉर्म, चाहे एग्रीकल्चर सैक्टर में हो या लेबर सैक्टर में हो, वही व्यक्ति कर सकता है, जो उनके दुःख और दर्द को समझता है।

माननीय सभापति जी, वर्ष 2014 में जब से देश में यह सरकार आई, उस दिन से हम देखें तो इस देश का निर्माण कौन कर रहा है, इस देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारत का जो निर्माण हो रहा है, सही मायने में कौन उसका कर्णधार है?

कई बार उद्योग-धंधों की चर्चा होती है, इस विकास में अगर कोई मील का पत्थर है तो वह उद्योग-धंधे हैं। इन उद्योग-धंधों में काम करने वाला कौन है? इमारतें खड़ी करने वाला कौन है, सड़क बनाने वाला कौन है, रेल की पट्टरी बिछाने वाला कौन है, देश में अनेक ऐसे काम हैं जिनको करने वाला मजदूर है। इसके पीछे अगर कोई दिखाई देता है तो वह मजदूर दिखाई देता है। उन मजदूरों के हितों के लिए पहली बार जो कानून काफी पुराने हो गए थे, नेशनल लेबर कमीशन ने भी कहा था कि आउटडेटेड कानून की जटिलताओं को दूर करना चाहिए, पहली बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस दर्द को समझा। देश और दुनिया का यह पहला उदाहरण होगा जब इस देश के सफाई कर्मियों का पांव धोकर उसका सम्मान करने का काम अगर किसी ने किया है तो नरेन्द्री मोदी जी ने किया है। ऐसे लोगों का आत्मसम्मान और प्रोत्साहन देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। ऐसे में सरकार ने एक महत्वपूर्ण बिल जबकि तीन पहले आ गए थे और अब माननीय मंत्री महोदय तीन बिल्स लेकर आए हैं। मैं कह सकता हूँ कि इन कानूनों के माध्यम से भारत में अभी तक असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए किसी ने सोचा नहीं था। उनके लिए व्यवस्थाओं का अभाव था। ऐसे में संहिता देश के करोड़ों श्रमिकों के जीवन के सामाजिक और आर्थिक क्रांति का साधन बनेंगी। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की परिकल्पना की। असंगठित क्षेत्र बहुत सारी विसंगतियों से भरा हुआ था, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उसे दूर करने का काम किया है। यह प्रयास स्वागत योग्य है, यह सराहनीय और अभिनंदन योग्य कदम है। संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की आर्थिक और सामाजिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा।

मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि यह देश हमेशा से मेहनत मजदूरी करने वाले का रहा है। हमारे देश में जितना आत्मसम्मान श्रमिक भाइयों का है, उतना शायद ही किसी देश में होगा। जिस काम को कई वर्षों से यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले दक्ष डिग्री वाले लड़के नहीं कर पाते, उस काम को देश का अनुभवी मजदूर कर सकता है। मजदूरों के हितों के लिए लॉकडाउन में भी उनके भरण पोषण और पेट भरने का काम अगर किसी ने किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया।

वन नेशन और वन राशन या उनके खातों में पैसा डालना हो, इस देश में पहली बार असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को काम करने के लिए प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना मोदी जी की सरकार लेकर आई। व्यापारियों और दुकानदारों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना पहली बार हम लोगों ने इस सरकार में देखा है। श्रम सुविधा पोर्टल जिसके कारण कई लोगों को समस्या होती थी, उसका समाधान हुआ। ऑनलाइन यूएन नम्बर के माध्यम से जब कोई एक फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर कई बार दूसरी जगह चला जाता है तो उसकी समस्या का भी समाधान होगा, ईएसआई के माध्यम से पहले साढ़े छह प्रतिशत योगदान होता था, अब छह प्रतिशत कर दिया गया है। लॉकडाउन में नरेगा के माध्यम से घर बैठे लोगों के लिए एक जीवनदायिनी है, जिसकी मजदूरी दर 182 से 202 रुपये बढ़ाने का काम किया। अभी जो तीन बिल्स आये हैं, यदि इसके माध्यम से हम लोग देखें तो श्रमिकों का वर्गीकरण काम के घंटे, छुट्टी, वेतन आदि कई तकलीफों का निवारण इसके माध्यम से होगा।

इसपेक्टर राज्य के कारण कई नियोक्ताओं और कई अन्य लोगों को काफी परेशानी होती थी, वह राज खत्म होगा। अब दस हजार रुपये से बढ़ाकर अठारह हजार रुपये मिनिमम मजदूरी की बात हो सकती है। ट्रेड यूनियन और सारी यूनियनों को स्टेट और सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मान्यता होगी। अभी उदयपुर में भारत सरकार ने सौ करोड़ रुपये का एक हॉस्पिटल दिया है, बीस करोड़ रुपये का चित्तौड़ में भी एक हॉस्पिटल दिया है। अब सोशल सिक्योरिटी 740 जिलों में से 567 जिलों में इन सुविधाओं का लाभ मिलेगा।

मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि चाहे फिक्सड सम रेग्युलर इम्पलाई या सामाजिक सुरक्षा का कोष हो, इन सभी सुविधाओं का लाभ श्रमिक भाइयों को मिलेगा। श्रमिकों को निःशुल्क हैल्थ चेक-अप हो या नियुक्ति प्रमाणपत्र हो, इस बारे में पहली बार इस सरकार ने सोचा है। सरकार एक ऐतिहासिक बिल लेकर आई, इसमें चाय बागान में काम कर रहे मजदूरों के लिए सोचा गया है। मैं एक जनजाति एरिया से आता हूँ। मेरा आग्रह रहेगा कि इसमें उस क्षेत्र के जंगल में तेंदु पत्ता इकट्ठा करने वाले हों, शहद, गोंद या लाख इकट्ठा करने वाले बहुत गरीब परिवार से आते हैं। उनको भी इसका लाभ मिले, ऐसा मेरा आग्रह है।

मेरे क्षेत्र में बहुत बड़ी सीमेंट इंडस्ट्री है। खान और पत्थर उद्योग में काम करने वाले मजदूरों को सिलिका से सिलिकोसिस रोग और कई गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। ऐसे श्रमिकों के इलाज को इसके माध्यम से जोड़ा जाना चाहिए ताकि श्रमिकों को इसका लाभ मिल सके। श्रमिक खतरनाक स्तर पर काम करता हैं। बॉयलर, चिमनी, जोखिम भरी मशीनों का काम करते हैं। गंभीर उद्योगों में काम करते हुए कई बार बॉयलर, चिमनी फट जाती है, इससे जन हानि होती है। ऐसे में उनकी सुरक्षा की चिंता करने की जरूरत है। ऐसी स्थिति में स्टेट कई बार एग्जम्पशन दे देती है, इसके कारण मजदूरों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है।

मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार को इस अधिकार से मुक्त कराएं, क्योंकि वह एग्जम्प्ट कर देंगे तो हजारों श्रमिकों को लाभ नहीं मिल पाएगा।

मैं पुनः माननीय मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आज के ऐतिहासिक दिन में बहुत बड़ा निर्णय हो रहा है।

**श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली):** माननीय सभापति जी, आपने मुझे माननीय मंत्री, श्री संतोष गंगवार द्वारा प्रस्तुत उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 विधेयक की चर्चा में भाग लेने और देश की आबादी के सेंसिटिव लोग, जो लंबे समय से प्रताड़ित हो रहे थे, के बारे में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति जी, अच्छा होता अगर विपक्ष के लोग यहां बैठे होते। यह बिल एक साल पहले आ गया होता। मजदूरों के अधिकार एक साल छिन गए हैं तो इसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। वर्ष 2019 में यह बिल आया था। उनका कहना था कि इसे और स्टडी किया जाए, स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाए। उनकी सिफारिश पर इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया गया। स्टैंडिंग कमेटी द्वारा सारी त्रुटियां निकालकर जब यह बिल आया तो वे किसानों के नाम पर बाहर भाग गए। वे किसानों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। आज अगर कांग्रेस मजदूरों की हितैषी पार्टी होती तो इस बिल का समर्थन करती। वे नहीं चाहते थे कि यह बिल आज आए, वे चाहते थे और लटक जाए, इसलिए बॉयकॉट करके कांग्रेसी लोग ... \*

वर्ष 2020 में लेबर श्रम कमीशन के माध्यम से रिपोर्ट पांच प्वाइंट्स लेकर आई थी, जिसमें सेफ्टी, हैल्थ, वर्किंग कंडीशन आदि थे। आज माननीय मंत्री गंगवार जी माननीय प्रधान मंत्री के नेतृत्व में बिल लेकर आए हैं, मैं इस बिल के माध्यम से उन्हें बधाई देना चाहता हूँ। हमारे देश में वर्ष 2004 से 2014 तक कांग्रेस सरकार रही। दस साल तक कमीशन की रिपोर्ट पर इनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला और ये अपने को गरीबों की पार्टी और हितैषी बताते हैं। ये अभी भी किसानों को बरगला रहे हैं कि गरीबों के अहित में निर्णय आ रहे हैं। जो बिल आया है, अगर इसे कोई स्टडी करेगा तो पाएगा कि यह 100 परसेंट किसानों के हक में है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 42 करोड़ वर्कर अनऑर्गेनाइज सैक्टर में रहते हैं। 42 करोड़ लेबर क्लास के लोग हैं। इस देश में इन लोगों को हक और अधिकार 50 सालों से नहीं मिल पाए थे। आज अगर किसी को काम पर अगर रखना है तो उसे एपाइंटमेंट लैटर मिलेगा। एपाइंटमेंट लैटर मिलने के बाद अगर उसे निकाला जाएगा तो बंधुआ मजदूर समझकर नहीं निकाला जाएगा, कंपनी को पहले 60 दिन का नोटिस देना पड़ेगा।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं पुनः माननीय गंगवार जी को धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त करता हूँ। मैं पिछली बार कन्सल्टेटिव कमेटी का मैम्बर भी रहा था। मैंने तब भी सुझाव दिया था कि जैसे चाइल्ड लेबर का लॉ है और हर कंपनी, हर प्रतिष्ठान के सामने बोर्ड लगा होता है कि 18 साल से कम आयु के कर्मचारी को नहीं रखा जाता है, ऐसे ही मिनिमम वेजिस सैलरी मिलनी चाहिए। इसमें यह प्वाइंट जोड़ा जाना चाहिए। हर कंपनी, हर संस्था के सामने लिखा हो कि यहां मिनिमम वेजिस दिया जाता है। कांट्रैक्ट बेसिस पर जिन लोगों को रखते हैं, उनको पूरी सैलरी नहीं दी जाती है। उन्हें 10,000, 12,000 रुपये दिए जाते हैं। इस देश में आज भी मजदूरों का शोषण हो रहा है, इससे उनका बचाव हो जाएगा।

मेरा निवेदन है, डैथ के बाद के बारे में कहा गया है कि 50 परसेंट कम्पेनसेशन दिया जाएगा। अगर किसी मजदूर की डैथ हो जाती है, उस गरीब की सुनता कौन है? हर राज्य में कम से कम सरकारी पैनल पर दस वकील रखे जाने चाहिए। साउथ दिल्ली कहने को तो साउथ दिल्ली है लेकिन 50 परसेंट आबादी गरीबों की हैं। मैं उनकी पीड़ा जानता हूँ। इंडस्ट्री में काम करने वाले मजदूर हमारे पास आते हैं, हर राज्य में उनके लिए पैनलाइज एडवोकेट फिक्स किए जाएं। अगर राज्य सरकारें गरीबों की हितैषी है, अगर किसी मजदूर के साथ मिसहैपनिंग हो जाए तो इन वकीलों के माध्यम से लड़ाई लड़ सकें और अपने अधिकार ले सकें।

आपने एपाइंटमेंट लैटर की बात कह दी, दो महीने पहले हैल्थ चैकअप की बात कह दी। डेली वेजेज और कांट्रैक्ट बेसिस पर काम करने वाले लोगों के हित के बारे में सारी बातें कह दीं, लेकिन उन मजदूरों के हक और अधिकार दिलाने के लिए निश्चित रूप से एकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। अगर किसी लेबर अफसर के

खिलाफ किसी मजदूर ने दस कम्प्लेंट्स कर दीं और कोई एक्शन नहीं लिया गया तो एकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, उसे सजा मिलनी चाहिए।

मैं यही बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद।

**श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज):** माननीय सभापति जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। माननीय सदस्यों ने जो महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, मैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहूंगा।

मैं आपके माध्यम से सरकार और माननीय मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि वे तीन कोड लेकर आए हैं। उन्होंने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में कहा था कि किस तरह से श्रम कानूनों पर काम किया है। वैश्विक चुनौती में मानसून सत्र हो रहा है, अगले सौ वर्ष बाद कभी इस सत्र के इतिहासकार इसका विश्लेषण करेंगे तो शायद इतिहास में हमेशा इसी बात के लिए याद किया जाएगा। भारत के सबसे महत्वपूर्ण दो सैक्टर्स हैं – एक सैक्टर किसानों का है और दूसरा देश के संगठित और असंगठित श्रमिकों का है। हमेशा याद किया जाएगा कि इन दोनों बातों के लिए ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम उठाए गए थे तो माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने उठाए थे।

मजदूर तो लगातार संघर्ष कर रहा है। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ, पहली बार मजदूरों ने क्रांति रोमन सरकार के खिलाफ 1789 में फ्रांस में स्पार्टकस गुलाम ने की थी और दासता की जंजीरों से मुक्ति दिलाई थी। यह पहली क्रांति मानी जाती है। शिकागो, 1 मई, 1886 दूसरी क्रांति मानी जाती है। ब्लादिमिर लेनिन की 1917 में रूस की क्रांति तीसरी मानी जाती है। आप यकीन कीजिए कि चौथी क्रांति श्रमिकों के हित में मानी जाएगी जब हम यह तीनों विधेयक पारित करेंगे।



अभी तक मजदूर को क्या कहा जाता है? हम डिग्निटी ऑफ लेबर की बात करते हैं, श्रम के महत्व की बात करते हैं, लेकिन आज भी मजदूर को हम कहते हैं कि यह श्रम बेचने वाला है। इस बिल के पहले लोग मजदूर को अपना श्रम बेचने वाला मानते हों या कहते हों, इस विधेयक के पारित होने के बाद अब मजदूर के श्रम पर अपना अधिकार होगा, यह एक क्रांतिकारी परिवर्तन होने जा रहा है।

वर्ष 2020 का बिधूड़ी जी ने उल्लेख किया। वर्ष 2002 में श्रम सुधारों के लिए लॉ कमीशन और लेबर कमीशन ने सुझाव दिया था, लेकिन वर्ष 2002 से अब तक शायद इस पर कल्पना नहीं हुई। माननीय अटल जी ने एक सपना देखा था और उस पर काम शुरू हुआ था। मैं आज कहना चाहता हूँ कि माननीय अटल जी का सपना था कि श्रम में सुधार हो, उनके सपने को साकार करने का काम नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया है। निःसंदेह यह एक ऐतिहासिक क्षण है कि अभी तक शैड्यूल एम्प्लायमेंट में रहते थे, उनको ही न्यूनतम वेतन देने की गारंटी रहती थी। चाहे वे संगठित हों या असंगठित हों। मैं अपनी बात कह दूँ। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं श्रम सगठनों से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैंने आपसे आग्रह किया था।

मैं कहना चाहता हूँ कि 28 अक्टूबर, 2003 को, जब साहिब सिंह वर्मा जी लेबर मिनिस्टर थे, अटल जी की सरकार थी, उस समय श्रम सुधारों के संबंध में एक बैठक हुई थी। मैं भी लगातार श्रम मंत्री गंगवार जी के साथ बैठक करता रहता हूँ। उस समय भारतीय रेलवे मजदूर संघ माल गोदाम के जो श्रमिक थे, जो आज भी देश में चार लाख हैं, जिस समय पूरे भारत में लॉकडाउन था, आप कल्पना कीजिए, फैक्ट्रियां जहां थीं, वहीं ठप हो गईं, रेलगाड़ियां बंद हो गईं, जहाज बंद हो गया, ट्रांसपोर्ट बंद हो गया। सारा देश स्थिर हो गया था।

**माननीय सभापति:** अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

**श्री जगदम्बिका पाल:** मैं एक बात कहकर अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। मंत्री जी इस पर जवाब देंगे, उसके बावजूद भी कन्याकुमारी से कश्मीर तक लोगों के घरों में अनाज पहुंचाया गया। जब सरकार ने फैसला लिया कि लॉकडाउन में आबाध गति से माल गाड़ियां चलेंगी तो उस लॉकडाउन में उन श्रमिकों ने लोडिंग-अनलोडिंग का काम किया। कोरोना के डर के बावजूद भी कहीं एक दिन भी किसी परिवार में खाद्यान की कमी नहीं हुई। आज मैं मंत्री जी से चाहता हूँ कि जब वे उत्तर दें, आपने इस बिल में सबके बारे में कहा है।

**माननीय सभापति:** प्लीज पाइंट्स में बात कीजिए, बात का विस्तार मत कीजिए ।

**श्री जगदम्बिका पाल:** रेलवे के माल गोदाम के जो श्रमिक हैं, माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में बता देंगे कि आखिर इनका पीस रेट होगा या इनको वह सुविधा होगी, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में माल गोदाम पर काम करते हैं, आपने इस विषय पर कई बैठकें की हैं ।

**श्री मनोज तिवारी (उत्तर पूर्व दिल्ली):** माननीय सभापति जी, आपने हमें इस ऐतिहासिक बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं । चूंकि मैं फिल्म कामगारों के एलाइड यूनियन का पदाधिकारी भी रहा हूं, इसलिए, मैं प्रसन्नतापूर्वक यशस्वी प्रधान मंत्री जी और माननीय मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं । जब उन्होंने 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' योजना की शुरुआत की थी, तभी पता लग गया था कि एक बड़ा विजन डॉक्यूमेंट आने वाला है । जिन मजदूर भाईयों को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है, पूरा सदन इस बात को कह रहा था, मैं सभी एम्प्लॉयज से, मजदूरों से, फिल्म कामगारों से, महिला कर्मचारियों से कहना चाहता हूं कि आप इस बिल को गीता-कुरान की तरह पढ़ें । आप इसको जितना अध्ययन करेंगे, उतना ही आपके जीवन में ऐतिहासिक बदलाव आएगा । यह अच्छा है कि मेरे बोलते-बोलते आसन में परिवर्तन हो रहा है ।

**18.58 hrs**

*(Shrimati Rama Devi in the Chair)*

यह बहुत सुखद है । जैसा कहा गया है कि इसमें प्रदेश को बहुत अधिकार है कि इसको कैसे लागू करना है, कैसे नहीं । लेकिन, जब हम दिल्ली के सांसद के रूप में यह देखते हैं, मैं माननीय सभापति जी के माध्यम से मंत्री जी को याद दिलाना चाहूंगा कि यहां कंस्ट्रक्शन लेबर्स हैं । कंस्ट्रक्शन लेबर्स के लिए तमाम वेलफेयर की योजनाएं हैं । लेकिन, प्रश्न उठता है कि कंस्ट्रक्शन लेबर्स कौन है, उसकी परिभाषा क्या है? ऐसे-ऐसे लोगों को कंस्ट्रक्शन लेबर्स का प्रमाण-पत्र दे दिया जाता है, जो वास्तव में कंस्ट्रक्शन लेबर्स होते ही नहीं है ।

माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि प्रदेशों को अधिकार है, लेकिन एक ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए, जिससे पता चल सके कि कुछ लोग सिर्फ कल्याण की राशियों का उपभोग करने के लिए ही मजदूर का प्रमाण-पत्र न प्राप्त कर लें। इसका भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे दिल्ली में लगभग तीस हजार करोड़ रुपये, जो कंस्ट्रक्शन सेस में आते हैं, उसके दुरुपयोग की बात आई है, या तो उसका दुरुपयोग होता है या उसका उपयोग ही नहीं होता है। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, चूंकि हम लोग भी एक मजदूर ही हैं। वैसे तो लोग हमें जानते हैं कि मैं सिनेमा से आया हूँ, मैं स्टार हूँ।

**माननीय सभापति:** सभा की सहमति हो तो हम सभा की कार्यवाही नौ बजे तक बढ़ा सकते हैं?

**अनेक माननीय सदस्य:** हां।

**माननीय सभापति:** ठीक है।

### **19.00 hrs**

**श्री मनोज तिवारी :** सभापति महोदया, धन्यवाद। मैं अपनी बात इस पंक्ति के साथ कहना चाहता हूँ, क्योंकि यह मजदूरों के लिए और कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा दिन है। मैं एक अंतिम प्रार्थना करना चाहता हूँ कि बार-बार उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड से जो मजदूर बाहर जाते हैं, उन्हें प्रवासी मजदूर क्यों कहा जाता है? हम प्रवासी कैसे हो गए? हमने प्रवासी सम्मेलन को देखा था, जिसमें दुनियाभर के लोग आए थे तो फिर मजदूर प्रवासी कैसे हो गए? हमें यह शब्द बहुत वेदना देता है। हम मजदूर हैं, हम कर्मचारी हैं, अपने प्रदेश से बाहर जाकर अन्य प्रदेशों में काम करते हैं तो मैं माननीय मंत्री जी से कहूँगा कि इस भावना को भी समझा जाए। हमें जब कई बार प्रवासी कहा जाता है तो अटक का डर लगता है। जब कोरोना जैसा संकट होता है तो हमारे साथ बहुत भेदभाव होता है। हमें 1100-1100 किलोमीटर पैदल चलकर घर जाना पड़ता है। ऐसा उदाहरण भी मिला है कि प्रदेश हमारी जिम्मेदारी नहीं लेता है। इसलिए इस बिल पर बहुत खुशी व्यक्त करते हुए और यह भी चाहते हुए कि आप इन सब छोटे बिन्दुओं का ध्यान रखेंगे, मैं कहना चाहता हूँ कि यह बिल ऐतिहासिक है। यह बिल महिलाओं और सभी लोगों को बहुत बड़ी सुरक्षा देने वाला है। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

**डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा):** सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आज का दिन भारत के इतिहास में सचमुच एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि हमारे नेता माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी कहते कम है और करते ज्यादा हैं। चूंकि सामने कोई कांग्रेस के मित्र नहीं हैं।

सभापति महोदया, इनका हमेशा से इतिहास रहा है कि बोलना ज्यादा है और करना कुछ भी नहीं है। आपको ध्यान होगा, इन्होंने वर्ष 1971 में कहा था कि हम गरीबी हटा देंगे, गरीबी हटा देंगे, लेकिन इनके द्वारा गरीबी तो हटी नहीं, बल्कि इन्होंने गरीब को ही हटाने का पूरा प्लान बना लिया। हम 50 साल के बाद आज भी गरीब और मजदूर की ही बात कर रहे हैं। संयोग से मेरे बगल में उदासी साहब आकर बैठ गए हैं। लेबर के नाम पर कांग्रेस ने जो गलत काम किया, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। इस बिल को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी अगर आप जानना चाहेंगे तो इसकी तह में जाना पड़ेगा। हम पीएसी कमेटी में साथ में थे और सीएजी की एक रिपोर्ट देख रहे थे। उस वक्त श्रम के जो मंत्री थे, यहां पर लीडर ऑफ द अपोजिशन भी रहे हैं और अभी राज्य सभा के सदस्य भी हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। संयोग से वही पीएसी के चैयरमैन थे। लेबर के नाम पर जो पैसा ईएसआईसी में जमा हुआ, उसके नाम पर उन्होंने हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज बनाना शुरू कर दिया। आश्चर्य तो यह हुआ कि हिमाचल में उसी हॉस्पिटल की कीमत यदि 600 करोड़ रुपये थी तो उनकी कांस्टिट्यूटरी गुलबर्गा, कर्नाटक में 1200 करोड़ रुपये थी। 1 करोड़ बत्तीस लाख रुपये पर बेड के हिसाब से हॉस्पिटल बन रहा था। मजदूरों के साथ इतना बड़ा अन्याय मैंने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखा। यही कारण है कि कांग्रेस के मित्र इतने बड़े बिल पर यहां भाषण देने के लिए नहीं हैं। यहां पर पिनाकी जी बैठे हैं और उनका हमने बहुत अच्छा संबोधन सुना है। इस देश में हुआ क्या है? आज आप देखिए कि सारी मिल्स, मुम्बई के मिल्स, अहमदाबाद की मिल्स, सभी मिल्स बिक रही हैं। सारे टेक्सटाइल मिल्स यहां तक कि जूट के मिल्स बिक रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या था? यही ट्रेड यूनियन था, यही लेबर था, जो गांव गरीब, किसान को नौकरी दे रहा था। आज आप समझिए कि पूरे के पूरे मुम्बई में, पूरे के पूरे कलकत्ता में पूरे बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग और झारखण्ड के लोग जाते थे, लेकिन ... \*जैसे लोग यदि पैदा होते थे तो उनका एक मात्र उद्देश्य यह रहता था कि कंपनी के मालिक को तंग किया जाए, कंपनी को बंद कर दिया जाए। कंपनी के मालिक को कोई भी परेशानी नहीं होती थी, क्योंकि पिनाकी भाई आज भी जमीन उन्हीं लोगों के पास है। वे लोग उस जमीन को बेचेंगे और करोड़पति हो जाएंगे, लेकिन उसमें काम करने वाले लेबर कहां है? आज मजदूर कहाँ चले गए हैं? क्या उसके

लिए इस बिल की आवश्यकता नहीं थी? दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि यह एक अच्छा अधिकार है। मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि मैं चार साल तक आरबीआई एम्प्लॉइज एसोसिएशन का अध्यक्ष रहा था। भारतीय मजदूर संघ की संस्था से चैयरमेन रहा था। आश्चर्य की बात यह है कि मेरे जैसा सांसद होते हुए भी, मैं फाइनेंस कमेटी का मैम्बर था, पीएसी का मैम्बर था, उसके बावजूद भी मैं अपनी यूनियन को आरबीआई में मान्यता नहीं दिला पाया।

वह मान्यता देने का अधिकार केवल आरबीआई यूनिट को था और आरबीआई के गवर्नर ने केवल सीपीएम की यूनियन को, जो भारतीय मजदूर संघ आज देश का सबसे बड़ा मजदूर यूनियन है, उसका जो कोटा होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसे आज तक आरबीआई ने मान्यता नहीं दी। क्या आप चाहते हैं कि डिसक्रिशन बना रहे? इन सारे कानूनों को यदि आप देखेंगे तो अंदाजा होगा कि भारतीय संस्कृति में, भारतीय सभ्यता में और भारतीय लोकतंत्र में माननीय मोदी जी का कितना बड़ा योगदान है और संतोष गंगवार साहब यहां कितना बड़ा विधेयक लेकर आए हैं।

अंत में, मैं जिस राज्य से आता हूँ, जिस बात को मनोज तिवारी जी ने शुरू किया, मैं उसे पूरा करना चाहता हूँ कि आज देश में माइग्रेंट लेबर की बात होती है। इसमें भी मैं जो परिभाषा देख रहा हूँ, उससे मुझे थोड़ी पीड़ा हो रही है, क्योंकि बिहार, झारखण्ड और उत्तर प्रदेश का होने के कारण पीड़ा है कि आप यह समझिए कि गिरमिटिया मजदूर के तौर पर मॉरिशस, सूरीनाम, गायना में जो लोग गए, आज वे उस देश के राष्ट्रपति हैं, प्रधान मंत्री हैं। यदि आप देखेंगे, इसी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा से आकर दिल्ली के मुख्य मंत्री बन गए। आपको मंत्री बनने में, मुख्य मंत्री बनने में, राष्ट्रपति बनने में, अभी अमेरिका में कमला हैरिस उप राष्ट्रपति पद की कैंडीडेट हैं। जब ऐसी सिचुएशन पूरे देश और दुनिया में है तो हम अपने ही देश में प्रवासी कैसे हो सकते हैं? यदि इतनी बड़ी पार्लियामेंट बिलडिंग बनी तो इसमें मजदूरों का योगदान है। मैंने उस दिन बजट भाषण में बोलते हुए कहा था कि यदि कोई कंपनी चलती है, कोई बिलडिंग बनती है तो उसमें लेबर की भी आवश्यकता होती है, कैपिटल की भी आवश्यकता होती है और मार्केट की भी आवश्यकता है। यदि कैपिटल आप उत्तर प्रदेश, बिहार या पूर्वोत्तर भारत से लेकर जाते हैं, यदि आप उसे प्रवासी कैपिटल नहीं कहते हैं तो मजदूरों को प्रवासी मजदूर कहना कहीं से अच्छा नहीं है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि इस परिभाषा को बदलने का प्रयास करना चाहिए। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। जय हिन्द-जय भारत।

**माननीय सभापति:** माननीय मंत्री जी।

**श्री संतोष कुमार गंगवार:** धन्यवाद, आदरणीय सभापति जी।... (व्यवधान)

**श्री गिरीश भालचन्द्र बापट (पुणे):** मैडम, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं।...(व्यवधान)

**माननीय सभापति:** मैंने मंत्री जी का नाम बोल दिया है।

...(व्यवधान)

**श्री संतोष कुमार गंगवार:** आप बाद में मिलकर, मुझे लिखकर दे दीजिए। बाद में मिल लीजिए।

आदरणीय सभापति जी, श्री पल्लब लोचन दास जी से लेकर श्री निशिकांत दुबे जी तक 17 माननीय सदस्यों ने अपनी महत्वपूर्ण बातें कही हैं। चूंकि हम जानते हैं कि श्रम सुधारों में परिवर्तन हो रहा है, काम हो रहा है। जैसा अभी एक साथी ने बताया कि वर्ष 2003 से यह प्रक्रिया चल रही थी। जो लोग आज वॉक-आउट कर गए हैं, वे लोग पूरे दस साल तक इसे अपने पास रखे रहे और इसको आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। यह बात अभी एक साथी ने भी कही थी।

मैं श्री पिनाकी मिश्रा जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। मैं उनको इतना ही बताना चाहता हूं कि परिभाषा में हम ऐसा कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, जिसमें राज्य के स्फेयर को हम दूर कर दें। बाकी बातें मैं उनको बता दूंगा। मैं एक अन्य बात यह बताना चाहता हूं। 18 हजार रुपये तक वर्कर के वेतन की परिभाषा के बारे में एक बात उन्होंने कही थी, वह केवल वर्कर के लिए नहीं है, जो सुपरवाइजर की श्रेणी में आ जाते हैं, उनकी बात है। बाकी, वर्कर को चाहे जितना वेतन मिले, वह वर्कर की ही श्रेणी में आएगा, क्योंकि हम यह मानते हैं कि जो हवाई जहाज चलाता है, वह भी वर्कर माना जाता है। इसलिए यह बात समझ में आती है, यदि इसमें कोई विशेष बात होगी तो हम आपको बताने का काम करेंगे।

जैसा मैंने कहा, महत्वपूर्ण साथियों ने अपने विचार रखे हैं, श्रम कानूनों का उद्देश्य अपने इन राष्ट्र निर्माताओं को हर प्रकार की सुरक्षा, सुविधा तथा कार्य करने के लिए बेहतर वातावरण प्रदान करना है। बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर जी ने सर्वप्रथम श्रमिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, उन्हें उचित जीविका देने, काम

करने के लिए उन्हें सुरक्षित वातावरण देने, श्रमिकों को व्यापक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा देने और महिलाओं को समान वेतन तथा मातृत्व लाभ देने में पहल की थी। आदरणीय मोदी जी जब आए, तब मातृत्व लाभ में महिलाओं को कैसे छूट मिले, इस पर काम हुआ। मुझे खूब ध्यान है कि जब माइन्स की पढ़ाई करने वाले बच्चे हमें मिले, उन्होंने बताया कि हम माइनिंग में इंजीनियरिंग करते हैं, लेकिन लड़कियों को माइन्स में नौकरी करने का मौका नहीं मिलता है।

जब प्रधान मंत्री जी को हमने कहा, तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और कहा कि अब लड़कियां भी सुरक्षा के साथ माइन्स में नौकरी कर सकती हैं। वास्तव में आदरणीय मोदी जी का यह विजन हम सबकी समझ में आता है। मुझे ध्यान है कि जब श्रम कानूनों में संशोधन की बात चल रही थी, तो हमने जो पहला कानून 'कोड ऑन वेजेज' पास किया था। वह इस लोक सभा का पहला कानून था। आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बाबा साहब के सपनों को आगे बढ़ाते हुए 2014 में 'श्रमेव जयते' को 'सत्यमेव जयते' के बराबर महत्व देते हुए श्रमिक भाई-बहनों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता स्पष्ट कर दी थी। पिछले छः वर्षों में हमारी सरकार ने इसी दिशा में अनेकों सार्थक कदम उठाए - जैसे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को प्रधान मंत्री श्रम योगी मान धन योजना के माध्यम से पेंशन देने का कार्य, महिलाओं के मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करना, महिलाओं को खदान क्षेत्र में कार्य करने का अधिकार देना, छोटे व्यापारियों को पेंशन देने की सुविधा देने की योजना शुरू करना, देश में प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के द्वारा फार्मल रोजगार को बढ़ावा देना, श्रमिकों को भविष्य निधि तथा कल्याणकारी योजनाओं की पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना और ईएसआई की सुविधाओं का विस्तार करना आदि। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हमने श्रम सुधारों का काम आरम्भ किया।

महोदया, श्रमिकों को कार्य का सुरक्षित वातावरण देने के लिए ओएसएच कोड में प्रावधान लाए गए हैं। हमने आक्यूपेशनल सेफ्टी, हैल्थ तथा वेलफेयर के प्रावधानों की एप्लीकेबिलिटी को बढ़ाया। ओएसएच कोड के प्रावधान, जो वर्तमान में केवल फैक्टरी, डॉक्स, माइन्स, कंस्ट्रक्शन, प्लांटेशन, बीड़ी, सीगार और मोटर ट्रांसपोर्ट में काम कर रहे श्रमिकों पर ही लागू होते हैं, अब वे आईटी तथा सर्विस सैक्टर सहित सभी सैक्टरों के संस्थानों पर समान रूप से लागू होंगे। ओएसएच कोड में परिभाषाओं को भी व्यापक बनाया गया है। मनोरंजन के क्षेत्र में सिने वर्कर्स की सीमित परिभाषा की तुलना में हमने श्रम कानूनों के दायरे में सभी प्रकार के मनोरंजन माध्यम के श्रमिकों को लाने के लिए आडियो-विजुअल वर्कर्स की परिभाषा का प्रावधान भी किया है। जैसा हमारे साथी तिवारी जी कह रहे थे, इसी प्रकार पत्रकारिता के क्षेत्र में भी डिजीटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इत्यादि में कार्य करने वाले पत्रकारों को भी वर्किंग जर्नलिस्ट की परिभाषा में शामिल किया है। हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने प्रवासी श्रमिकों की परिभाषा को सीमित करने की बात कही है। इस विषय में मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि वर्तमान श्रम कानून में प्रवासी मजदूर की परिभाषा में

केवल वे ही श्रमिक आते हैं, जो कि एक ठेकेदार के माध्यम से एक राज्य से दूसरे राज्य में लाए जाते हैं। ओएसएच कोड में प्रवासी मजदूर की इस परिभाषा को सुदृढ़ एवं व्यापक बनाया गया है, जिससे अब सभी प्रवासी मजदूर जो एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं और उनका वेतन 18 हजार रुपये से कम हो, तो वे सभी प्रवासी श्रमिक की परिभाषा के दायरे में आएंगे। अब उन्हें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल पाएगा।

महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि सरकार प्रवासी मजदूरों के प्रति बहुत ही संवेदनशील है तथा उनके कल्याण के लिए बहुत से प्रावधान ओएसएच कोड में किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत प्रवासी मजदूरों का एक डेटाबेस बनाने का प्रावधान पहली बार कानून में दिया जा रहा है। इन कानूनी प्रावधानों के बाद राज्य सरकारों को अनिवार्य रूप से प्रवासी मजदूरों के सम्पूर्ण डेटाबेस को तैयार करना होगा। प्रवासी मजदूरों को अपने मूल निवास पर जाने के लिए साल में एक बार उनके एम्प्लॉयर द्वारा यात्रा भत्ता दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है। प्रवासी मजदूरों के लिए वेलफेयर स्कीम की पोर्टेबिलिटी भी सुनिश्चित की जा रही है तथा प्रवासी मजदूरों की समस्याओं के निवारण के लिए कानून में ही हैल्प लाइन की व्यवस्था की गई है। ओएसएच कोड के दायरे में आ रहे श्रमिकों को एक निश्चित आयु के बाद निःशुल्क हैल्थ चैकअप का अधिकार दिया जा रहा है, जिससे श्रमिकों के प्रिवेंटिव हैल्थ केयर को बढ़ावा मिलेगा।

### **19.15 hrs**

(Hon. Speaker in the Chair)

ओएसएच कोड में पहली बार श्रमिकों को नियुक्ति पत्र पाने का कानूनन अधिकार दिया गया है, जो अब तक नहीं था। आजादी के 70 वर्षों के बाद भी इनके लिए कोई नियुक्ति पत्र नहीं था।

अध्यक्ष महोदय, यदि हम चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा के स्टैंडर्ड प्रभावी एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हों, तो यह आवश्यक है कि हम उनको समय के साथ गतिशील बनाएं। इसलिए सेफ्टी स्टैंडर्ड को एक त्रिपक्षीय बोर्ड, नेशनल ऑक्युपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ बोर्ड के द्वारा रेकमेंड किया जाए। यह एक नई व्यवस्था की गई है। वर्तमान के श्रम कानून के अनुसार दुर्घटना की स्थिति में जुर्माने की राशि पूरी तरह से सरकार के खाते में जाता है। यह हमें मंत्रालय में आने के बाद पता चला कि अगर कोई जुर्माना एक्सिडेंट के कारण होता है, तो वह पैसा उस व्यक्ति को नहीं मिलता है, वह सरकार के खाते में जाती है, जिसका श्रमिकों को कोई लाभ नहीं मिलता है। परंतु इस नए कानून से पीड़ित श्रमिकों को अन्य लाभों के अलावा जुर्माने की राशि का कम से कम 50 प्रतिशत मिल पाएगा, हम ऐसी व्यवस्था इस कानून में कर रहे हैं। ये सारे नए प्रावधान ओएसएच कोड में हमारे श्रमिकों को सुरक्षित कार्य का वातावरण देने के लिए किए गए हैं।



अध्यक्ष महोदय, औद्योगिक शांति तथा विकास के लिए श्रमिक तथा एम्प्लॉयर्स के बीच एक सकारात्मक रिश्ता बहुत जरूरी होता है। इसी उद्देश्य से इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड के प्रावधान हरेक औद्योगिक संस्थान के ऊपर लागू होगा, चाहे उनमें एक ही श्रमिक क्यों न कार्य कर रहा हो। हर औद्योगिक संस्थान के विवादों के शीघ्र निस्तारण के लिए भी कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं। उदाहरण के लिए हमारे ट्रिब्यूनल में अब एक मैम्बर के स्थान पर दो मैम्बर्स का प्रावधान किया गया है। जिससे विवादों के जल्द निस्तारण में और तेजी आए और एक मैम्बर की अनुपस्थिति में भी ट्रिब्यूनल का कार्य चलता रहे।

मैं यहां माननीय सदस्यों को यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि आईआर कोड में भी परिभाषाओं को वर्तमान की तुलना में और ज्यादा मजबूत किया गया है। उदाहरण के लिए वर्कर की परिभाषा में सुपरवाइजर की वेतन सीमा को 10 हजार रुपये बढ़ा कर अब 18 हजार रुपये कर दिया गया है। इस बदलाव से आज के मुकाबले कहीं ज्यादा सुपरवाइजर्स आईआर कोड की परिधि में आएंगे।

अध्यक्ष महोदय, fixed term employment को आईआर कोड में लाने पर मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि वर्तमान में भी संस्थान अपनी आवश्यकता अनुसार श्रमिकों को कम समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर के रूप में रखते हैं। लेकिन उन्हें नियमित कर्मचारी की भांति सेवा-शर्तें, छुट्टी, वेतन, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि नहीं मिल पाते हैं। हमें यह स्वीकार करना होगा कि संस्थानों को अपनी आवश्यकता के अनुसार श्रमिकों को स्वतंत्रता देना आवश्यक है। एक संतुलन बनाते हुए हम ने यह भी सुनिश्चित किया है कि fixed term employees की सेवा शर्तें, वेतन, छुट्टी एवं सामाजिक सुरक्षा भी एक रेग्युलर एम्प्लॉई के समान ही होगी।

आईआर कोड में स्ट्राइक के प्रावधानों के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी श्रमिक को स्ट्राइक पर जाने का अधिकार आईआर कोड में छीना नहीं गया है। स्ट्राइक पर जाने से पहले 14 दिन की नोटिस पीरियड की बाध्यता हर संस्थान पर इसलिए लागू की गई है, जिससे कि इस अवधि में सौहार्दपूर्ण बातचीत के माध्यम से विवाद को समाप्त करने का प्रयास किया जा सके। श्रमिकों को स्ट्राइक पर जाने से न तो श्रमिकों का और न ही इंडस्ट्री का कोई लाभ होता है।

जहां तक आईआर कोड में रिट्रैचमेंट क्लोजर या ले ऑफ में थ्रेशहोल्ड को बढ़ाने की बात है, तो मैं बताना चाहूंगा कि श्रम एक समवर्ती सूची का विषय है और संबंधित राज्य सरकारों को भी अपनी परिस्थितियों के अनुसार श्रम कानूनों में परिवर्तन करने का अधिकार है। इसी थ्रेशहोल्ड की सीमा को राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश सहित 16 राज्य पहले ही अपने यहां बढ़ा चुके हैं। थ्रेशहोल्ड की सीमा इन राज्यों ने अपने-आप ही 300 की संख्या तक कर दी है। इस प्रावधान का एक पक्ष यह भी है कि ज्यादातर संस्थान 100 से ज्यादा श्रमिकों को अपने संस्थान में नहीं रखना चाहते, जिससे अनौपचारिक रोजगार को बढ़ावा मिलता है।

अध्यक्ष महोदय, इस एक प्रावधान को बदलने से देश में बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों को स्थापित करने के लिए निवेशक प्रेरित होंगे और ज्यादा संख्या में बड़ी फैक्ट्रियों के स्थापित होने से रोजगार के ज्यादा अवसर हमारे देश में श्रमिकों के लिए उत्पन्न होंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, श्रमिकों को उनका अधिकार दिलाने के लिए ट्रेड यूनियंस के योगदान को हमने समझा और स्वीकार किया है। इसी वजह से पहली बार उनकी सहभागिता को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से उनको संस्थान स्तर, राज्य स्तर और केन्द्र स्तर, यानी तीन स्तरों पर कानून में मान्यता दी गई है।

हमारी सरकार अपनी जिम्मेदारी समझती है। जिन्होंने अच्छे समय में देश के विकास में योगदान दिया है, उनके कठिन समय में बीमारी, बेरोजगारी, दुर्घटना, वृद्धावस्था जैसी समस्याओं का सामना करने के लिए अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। हमें अपने देश में धीरे-धीरे यूनिवर्सल सोशल सिव्योरिटी प्रणाली की व्यवस्था करनी है।

अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए ईएसआईसी और ईपीएफओ सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अब हमारा उद्देश्य है कि सामाजिक सुरक्षा के दायरे में सभी 50 करोड़ श्रमिकों को लाया जाए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सामाजिक सुरक्षा कोड के अंतर्गत हमने प्रयास किया है कि ईएसआईसी के अंतर्गत मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों तक भी पहुंचाया जाए। इसी अनुक्रम में ईएसआईसी के विस्तार के लिए निर्णय लिया गया है कि इसकी सुविधाएं देश की सभी 740 जिलों में दी जाएंगी। वर्तमान में ईएसआईसी की सुविधाएं केवल उन संस्थानों को मिल पाती हैं, जिनमें दस या उससे अधिक श्रमिक कार्य कर रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा कोड में अब यह प्रावधान किया गया है कि हेज़ार्डस यानी जोखिम वाले क्षेत्रों में कार्य कर रहे संस्थानों को ईएसआईसी की सुविधाएं अपने श्रमिकों को अनिवार्य रूप से प्रदान करनी होगी, चाहे उनके संस्थान में केवल एक ही श्रमिक क्यों न काम कर रहा हो। बागानों में काम कर रहे श्रमिकों को ईएसआईसी की सुविधाओं का लाभ मिले, अब इसका विकल्प भी प्रदान किया जा रहा है। आज तक ईएसआईसी की सुविधाओं से बागान में काम कर रहे श्रमिक वंचित रहे। काफी समय से मांग रही है कि इन श्रमिकों को भी ईएसआईसी के दायरे में लाने का विकल्प दिया जाए। इसके अनुरूप ही यह निर्णय लिया गया है और मुझे लगता है कि बागान क्षेत्र के सांसद महोदय जो समस्याएं लेकर आते हैं, वे इससे कम संतुष्ट नजर आते हैं, पर हम उनकी बातों को समझते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनको शिकायत का मौका न मिले, इसके लिए हम चिन्ता करते हैं।

असंगठित क्षेत्र, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी ईएसआईसी के दायरे में लाने के लिए योजना बनाने का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त ऐसे संस्थान, जहाँ दस से कम श्रमिक काम कर रहे हैं, उन संस्थानों को भी स्वेच्छा से ईएसआईसी का मेम्बर बनाने का विकल्प इस कोड में दिया जा रहा है, जिससे छोटे उद्योग भी ईएसआईसी से जुड़ सकें।

मैं आपके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि जहाँ एक ओर ईएसआईसी के कवरेज को बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, वहीं साथ-साथ कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ से संबंधित सामाजिक सुरक्षा के दायरे को बढ़ाने के लिए भी इस कोड में प्रावधान किए गए हैं। वर्तमान में केवल शेड्यूल में आ रहे ऐसे संस्थान, जिनमें 20 या उससे अधिक श्रमिक कार्य कर रहे हैं, वे ही ईपीएफ के दायरे में आते थे। शेड्यूल को हटा देने के कारण अब वे सभी संस्थान, जिनमें 20 या उससे अधिक श्रमिक हैं, वे भी ईपीएफ के दायरे में आएंगे। साथ ही, वे संस्थान जिनमें 20 से कम श्रमिक हैं, उनके लिए ईपीएफ का सदस्य स्वेच्छा से बनने का विकल्प सामाजिक सुरक्षा कोड में रखा गया है। इसके अतिरिक्त स्वरोजगार वाले श्रमिकों के लिए भी ईपीएफ का कवरेज देने के लिए भी योजना बनाई जाएगी।

अध्यक्ष महोदय जी, असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे 40 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए पहली बार एक सामाजिक सुरक्षा फंड का प्रावधान भी किया गया है। इस फंड के द्वारा असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे श्रमिक जैसे गिग वर्कर्स तथा प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा की योजना बनाई जाएगी। इससे इन 40 करोड़ भाई-बहनों को सामाजिक सुरक्षा से संबंधित सभी प्रकार के लाभ, जैसे मृत्यु बीमा, दुर्घटना बीमा, पेंशन, मातृत्व लाभ आदि प्रदान की जाएगी। इन सभी नये प्रावधानों के द्वारा हमने एक यूनिवर्सल सोशल सिव्योरिटी कवरेज के अंतर्गत अपने संकल्प को पूर्ण करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यगण इस बात से सहमत होंगे कि श्रमिक और उद्योग एक-दूसरे के पूरक होते हैं। अनुपालन की व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी, जवाबदेह और सरल बनाने के लिए हमने चारों लेबर कोड्स में एक समान प्रावधान रखे हैं। पहली बार अब संस्थानों को श्रम कानूनों के अंतर्गत आठ रजिस्ट्रेशन लेने के स्थान पर चारों लेबर कोड्स में केवल एक ही रजिस्ट्रेशन लेना होगा।

इसी प्रकार अलग-अलग कानूनों के अंतर्गत तीन या चार लाइसेंसेज लेने के स्थान पर केवल एक ही लाइसेंस की व्यवस्था की जा रही है। अनुपालन की व्यवस्था की जटिलता का एक और उदाहरण यह है कि वर्तमान में श्रम कानून के अनुसार 75 से भी अधिक रजिस्टर्स रखने पड़ते थे और 50 से अधिक रिटर्न्स फाइल

करनी पड़ती थीं और एक ही सूचना अलग-अलग अर्थोरिटीज़ को बार-बार देनी पड़ती थी। अब चारों लेबर कोर्ट्स में रजिस्टर्स तथा रिटर्न्स की संख्या में अभूतपूर्व कमी आई है। जहां तक संभव है, इसे ऑनलाइन फाइल करने की सुविधा भी दी जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, श्रमिक और एम्प्लायर्स को श्रम कानूनों की पर्याप्त जानकारी होगी तो इसका बेहतर अनुपालन संभव हो जाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए अब हमने इन्सपैक्टर को इन्सपैक्टर-कम-फैसिलिटेटर के रूप में दोहरी जिम्मेदारी दी है, जिसके अंतर्गत वह नियोक्ता तथा श्रमिक – दोनों को कोर्ट के अंतर्गत, उनके अधिकारों और उनकी जिम्मेदारियों की जानकारी देते हुए उनके लिए एक सहयोगी की भूमिका निभाएंगे। निरीक्षण तंत्र को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने की सोच से एक रैन्डम वेब-बेस्ड इन्सपैक्शन सिस्टम लाने का प्रावधान भी सभी कोर्ट्स में किया जा रहा है, जिससे श्रमिकों को उनके कानूनी अधिकार वास्तव रूप से मिल सकें।

आदरणीय अध्यक्ष जी, सालों तक लंबित रहने वाले मामलों को जल्दी निपटाने के उद्देश्य से सभी लेबर कोर्ट्स में कंपाउंडिंग का प्रावधान किया गया है, जिससे ट्रिब्युनल और न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या में काफी कमी आई है। कंपाउंडिंग में प्राप्त धनराशि को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए बनाए गए सोशल सिक्योरिटी फंड में जमा करने का प्रावधान किया गया है, जिससे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

सभी लेबर कोर्ट्स में पैनल्टी की राशि को कई गुना बढ़ाया गया है, जिससे सही अर्थों में यह एक डिटरेंट की तरह साबित हो। अनुपालन व्यवस्था को समयबद्ध करने हेतु भी कोर्ट में कई प्रावधान किए गए हैं। उदाहरण के लिए वर्तमान में ईपीएफ तथा ईएसआईसी एक्ट के अंतर्गत होने वाली कार्यवाही को पूर्ण करने के लिए कोई समय सीमा नहीं थी। अब इन इंकवायरीज को पूर्ण करने के लिए दो वर्ष की समय सीमा निर्धारित की गई है, जिसे विशेष परिस्थितियों में अधिकतम एक वर्ष और बढ़ाया जा सकता है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि हमने कई विस्तृत विषयों को कानून में न रखकर नियम बनाने का प्रावधान किया है। मैं इस विषय को स्पष्ट करना चाहूंगा कि बदले हुए समय के साथ-साथ सहजता से बदलाव करने के लिए आवश्यक है कि कानून में फ्लैक्सिबिलिटी रहे। उदाहरण के लिए आज फैक्ट्री एक्ट में सीढ़ी, लिफ्ट, गियर इत्यादि की स्पेसिफिकेशंस तक कानून का हिस्सा हैं। यानी अगर कहीं सीढ़ी या लिफ्ट बदलनी है तो कानून में परिवर्तन करना होगा। इसे नियमों में लाकर समय के साथ-साथ आसानी से परिवर्तित किया जा सकेगा।

माननीय अध्यक्ष जी, इसी प्रकार कई परिभाषाओं में वेतन सीमा के कानून में होने के कारण कई वर्षों तक आर्थिक स्थिति बदलने के बावजूद भी आसानी से नहीं बदला जा सका है। इसलिए कानून में बदलते परिवेश के सापेक्ष फ्लेक्सिबिलिटी रखना उचित है। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक दिन के साक्षी बन रहे हैं, जब देश में काम कर रहे 50 करोड़ श्रमिकों को आजादी के 73 वर्षों के बाद वेतन सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, कार्य स्थल पर उचित वातावरण तथा उत्तरदायी विवाद निष्पादन व्यवस्था देने का कार्य लेबर कोर्ट्स के माध्यम से किया जा रहा है। यह इसीलिए संभव हो पा रहा है, क्योंकि हमारे देश को एक जवाबदेह प्रधान मंत्री मिला है, जो हर बात को सोचता और समझता है और तुरंत फैसला लेता है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आप सभी साथियों का आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा। आप सब माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि कामकाज के वर्तमान परिवेश में श्रमिकों के कल्याण की इस यात्रा में आप राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर, सर्वसम्मति से इन तीनों बिलों - The Occupational Safety, Health And Working Conditions Code, 2020, The Industrial Relations Code, 2020 and The Code On Social Security, 2020 – को सर्वसम्मति से पास करने की कृपा करें।

आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।

**माननीय अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

“कि किसी स्थापन में नियोजित व्यक्तियों की उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाओं को विनियमित करने वाली विधियों को समेकित और संशोधित करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**माननीय अध्यक्ष:** माननीय सदस्यगण, मद संख्या – 14, इस विधेयक पर अनेक सदस्यों के संशोधन परिचालित किए गए हैं। चूंकि इनमें से कोई भी सदस्य अपने संशोधन प्रस्तुत करने के लिए सभा में उपस्थित नहीं है, इसलिए मैं विधेयक के खंड एक साथ सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी ।

## खंड 2 से 143

**माननीय अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

“कि खंड 2 से 143 विधेयक का अंग बने ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 2 से 143 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

पहली से तीसरी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

**माननीय अध्यक्ष:** मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए ।

**श्री संतोष कुमार गंगवार :** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

“कि विधेयक पारित किया जाए ।”

**माननीय अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

“कि विधेयक पारित किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**माननीय अध्यक्ष:** आइटम नं. 15

प्रश्न यह है:

“कि व्यवसाय संघ, औद्योगिक स्थापन या उपक्रम में नियोजन की शर्तें, औद्योगिक विवादों के अन्वेषण तथा परिनिर्धारण और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों से संबंधित विधियों का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**माननीय अध्यक्ष:** इस विधेयक पर अनेक सदस्यों के संशोधन परिचालित किए गए हैं। चूंकि इनमें से कोई भी सदस्य अपने संशोधन प्रस्तुत करने के लिए सभा में उपस्थित नहीं है। इसलिए मैं विधेयक के खण्ड एक साथ सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

**खंड 2 से 104**

**माननीय अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

“कि खंड 2 से 104 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 2 से 104 विधेयक में जोड़ दिये गये।

पहली से तीसरी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

**माननीय अध्यक्ष:** मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।

**श्री संतोष कुमार गंगवार :** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

“कि विधेयक पारित किया जाए।”

**माननीय अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

“कि विधेयक पारित किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**माननीय अध्यक्ष:** आइटम नं. 16

प्रश्न यह है:

“कि संगठित या असंगठित या किन्हीं अन्य सेक्टरों में सभी कर्मचारियों और कर्मकारों की सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा से संबंधित विधियों का संशोधन और समेकन करने के लिए और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।



**माननीय अध्यक्ष:** इस विधेयक पर अनेक सदस्यों के संशोधन परिचालित किए गए हैं। चूंकि इनमें से कोई भी सदस्य अपने संशोधन प्रस्तुत करने के लिए सभा में उपस्थित नहीं है। इसलिए मैं विधेयक के खण्ड एक साथ सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

## खंड 2 से 164

**माननीय अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

“कि खंड 2 से 164 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 2 से 164 विधेयक में जोड़ दिये गये।

पहली से सातवीं अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

**माननीय अध्यक्ष:** मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।

**श्री संतोष कुमार गंगवार :** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

“कि विधेयक पारित किया जाए।”

**माननीय अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

“कि विधेयक पारित किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।